



सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 31, सोमवार, शाके 1943-जून 21, 2021  
Jyaistha 31, Monday, Saka 1943- June 21, 2021

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड(II)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये कानूनी आदेश तथा

अधिसूचनाएं

कार्मिक विभाग

क-गुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 19, 2021

**एस.ओ.560** :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा के पदों पर भर्ती तथा उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा संबंधी शर्तों को विनियमित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

### राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021

भाग 1

साधारण

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

(3) ये नियम राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, लिपिकवर्गीय और चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 द्वारा शासित पदों पर, उन नियमों में यथा उपबंधित के सिवाय, लागू नहीं होंगे।

2. परिभाषाएं .- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में,-

(क) "नियुक्त प्राधिकारी" से महासमादेष्टा, होम गार्ड, राजस्थान अभिप्रेत है और सेवा में के किसी पद के संबंध में, इसमें ऐसा अन्य अधिकारी या प्राधिकारी सम्मिलित है जिसे महासमादेष्टा, होम गार्ड द्वारा, सरकार के अनुमोदन से, नियुक्त प्राधिकारी की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करने के लिए विशेष रूप से सशक्त किया जाये ;

- (ख) "अतिरिक्त महानिदेशक " से अतिरिक्त महानिदेशक, होम गार्ड अभिप्रेत है और इसमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सम्मिलित है, जब वह होम गार्ड विभाग में पदस्थापित हो ;
- (ग) "बोर्ड" से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (घ) "समादेष्टा" से समादेष्टा, होम गार्ड प्रशिक्षण केन्द्र, बटालियन समादेष्टा, बॉर्डर होम गार्ड तथा होम गार्ड मुख्यालय, राजस्थान का वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी अभिप्रेत है ;
- (ङ.) "महासमादेष्टा, होम गार्ड" या "म.हो.गा." से महासमादेष्टा, होमगार्ड अभिप्रेत है और इसमें विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत अतिरिक्त महासमादेष्टा, होमगार्ड सम्मिलित है ;
- (च) "विभाग" से होम गार्ड विभाग अभिप्रेत है और इसमें ऐसी अन्य इकाइयां, जो सरकार द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जायें, सम्मिलित हैं ;
- (छ) "उप समादेष्टा" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है उप समादेष्टा, होम गार्ड/बॉर्डर होम गार्ड में बटालियन सेकंड-इन-कमांड /होम गार्ड मुख्यालय, राजस्थान का कनिष्ठ स्टाफ अधिकारी ;
- (ज) "उप महासमादेष्टा, होम गार्ड या "उ.म.हो.गा. " से उप महासमादेष्टा, होम गार्ड और निदेशक, केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान अभिप्रेत है ;
- (झ) "सीधी भर्ती" से इन नियमों के भाग-4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की गयी भर्ती अभिप्रेत है ;
- (ञ) "जिला" से राज्य का जिला या कोई इकाई या इकाइयों का समूह जिसे, इन नियमों के प्रयोजन के लिए, महासमादेष्टा, होम गार्ड द्वारा सरकार के अनुमोदन से, किसी जिले के समतुल्य घोषित किया जाये अभिप्रेत है ;
- (ट) "सरकार" से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है ;
- (ठ) "महानिरीक्षक" से महानिरीक्षक, होमगार्ड अभिप्रेत है और इसमें पुलिस महानिरीक्षक जब वह होम गार्ड विभाग में पदस्थापित हो, सम्मिलित है ;
- (ड) "सेवा का सदस्य" से इन नियमों या इन नियमों द्वारा अतिष्ठित किये गये नियमों या आदेश के उपबंधों के अधीन सेवा में के किसी पद पर नियमित चयन के आधार पर नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है ;
- (ढ) "पदोन्नति बोर्ड" से नियम 34 के अधीन महासमादेष्टा, होम गार्ड द्वारा यथा गठित पदोन्नति बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (ण) "भर्ती बोर्ड" से सुसंगत नियमों के अधीन गठित बोर्ड और इन नियमों के अधीन महासमादेष्टा, होम गार्ड द्वारा यथा गठित परीक्षा बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (त) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;
- (थ) "सेवा" से राजस्थान होम गार्ड अधीनस्थ सेवा अभिप्रेत है ;

(द) "सेवा" या "अनुभव" जहां कहीं भी इन नियमों में, उच्चतर पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए पात्र किसी निम्नतर पद (पदों) को धारण करने वाले व्यक्ति की दशा में एक सेवा से दूसरी सेवा में या सेवा के भीतर एक प्रवर्ग से दूसरे प्रवर्ग में या वरिष्ठ पद (पदों) पर पदोन्नति के लिए एक शर्त के रूप में विहित हो, उसमें ऐसी कालावधि सम्मिलित होगी, जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित नियमों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात्ऐसे निम्नतर पद (पदों) पर निरन्तर कार्य किया हो ;

**टिप्पण :** सेवा के दौरान की ऐसी अनुपस्थिति, उदाहरणार्थ प्रशिक्षण, छुट्टी और प्रतिनियुक्ति इत्यादि, जो राजस्थान सेवा नियम, 1951 के अधीन "ड्यूटी" के रूप में मानी जाती है, पदोन्नति के लिए अपेक्षित अनुभव या सेवा की संगणना करने के लिए सेवा के रूप में गिनी जायेगी ;

(ध) "राज्य" से राजस्थान राज्य अभिप्रेत है ;

(न) "अधिष्ठायी नियुक्ति" से इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से सम्यक्चयन के पश्चात किसी अधिष्ठायी रिक्ति पर इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी नियुक्ति अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है परिवीक्षा पर या परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में की गयी कोई नियुक्ति जिस पर परिवीक्षाकाल की समाप्ति के पश्चात स्थायीकरण किया जाता हो ;

**टिप्पण :** इन नियमों के अधीन विहित भर्ती की किसी भी रीति से किये गये सम्यक्चयन के अन्तर्गत, अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के सिवाय, सेवा के प्रारम्भिक गठन पर की गयी या भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रख्यापित किन्हीं भी नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गयी भर्ती आयेगी; और

(प) "वर्ष" से वित्तीय वर्ष अभिप्रेत है।

**3. निर्वचन** .- जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) इन नियमों के निर्वचन के लिए उसी प्रकार लागू होगा, जिस प्रकार वह किसी राजस्थान अधिनियम के निर्वचन के लिए लागू होता है।

## भाग 2

### संवर्ग

**4. सेवा की संरचना और उसमें पदों की संख्या.**- (1) सेवा में सम्मिलित पद (पदों) का स्वरूप ऐसा होगा जो अनुसूची-I और, यथास्थिति, अनुसूची-II के स्तंभ 2 में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) सेवा में पद (पदों) की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाये :

परन्तु सरकार,-

- (क) आवश्यक प्रतीत होने पर कोई भी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) को समय-समय पर सृजित कर सकेगी और किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना ऐसे किसी पद (पदों) को उसी रीति से समाप्त कर सकेगी; और
- (ख) किसी व्यक्ति को किसी भी प्रतिकर का हकदार बनाये बिना किसी स्थायी या अस्थायी पद (पदों) को समय-समय पर खाली या प्रास्थगित रख सकेगी या व्यपगत होने के लिए अनुज्ञात कर सकेगी।

**5. सेवा का प्रारम्भिक गठन .-** सेवा निम्नलिखित से गठित होगी:-

- (क) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को अनुसूची-I एवं अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद (पदों) को अधिष्ठायी रूप से धारण करने वाले समस्त व्यक्ति ;
- (ख) इन नियमों के प्रारम्भ से पूर्व, सेवा में के पद (पदों) पर भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति ; और
- (ग) अर्जेंट अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये समस्त व्यक्ति।

### भाग 3

#### भर्ती

**6. भर्ती की रीतियां.-** (1) इन नियमों के प्रारम्भ के पश्चात्सेवा में के पद (पदों) पर भर्ती, अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II के स्तंभ 3 में यथा उपदर्शित अनुपात में, निम्नलिखित रीतियों से की जायेगी :-

- (i) इन नियमों के भाग 4 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ;
- (ii) इन नियमों के भाग 5 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार पदोन्नति द्वारा ।

(2) उपर्युक्त रीतियों द्वारा सेवा में भर्ती इस प्रकार की जायेगी कि प्रत्येक रीति से सेवा में इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति, किसी भी समय नियमों/अनुसूची में अधिकथित प्रत्येक प्रवर्ग के लिए समय-समय पर यथा स्वीकृत कुल संवर्ग संख्या के प्रतिशत से, अधिक नहीं हों :

परन्तु यदि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि किसी वर्ष-विशेष में भर्ती की किसी एक रीति से नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध नहीं हैं तो नियुक्ति, विहित अनुपात को शिथिल करते हुए, अन्य रीति से उसी प्रकार की जा सकेगी जो इन नियमों में विनिर्दिष्ट है।

(3) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति, जो आपातकाल के दौरान थल सेना/वायु सेना/नौ सेना में पदग्रहण करता है, की नियुक्ति, पदोन्नति, वरिष्ठता एवं स्थायीकरण आदि ऐसे आदेशों एवं अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें, बशर्ते कि ये भारत सरकार द्वारा विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार यथावश्यक परिवर्तन सहित नियमित होंगे।

**7. मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिकों/पैरा-मिलिटरी कार्मिकों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति.-** (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियुक्ति प्राधिकारी, शैक्षिक अर्हताओं और सुसंगत सेवा नियमों के अधीन विहित अन्य सेवा शर्तों को पूरा करने और कार्मिक विभाग की सहमति के अध्यक्षीन रहते हुए,-

(ii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय-समय पर यथा संशोधित पे. मैट्रिक्स में लेवल एल-9 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में स्थायी रूप से अशक्त हो जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके, या

(iii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय-समय पर यथा संशोधित पे. मैट्रिक्स में लेवल एल-10 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के ऐसे किसी सदस्य, जो 01.04.1999 को या उसके पश्चात् विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा जाता है, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके, या

(iiii) सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समय-समय पर यथा संशोधित पे. मैट्रिक्स में लेवल एल-9 तक के पदों की रिक्तियां, राज्य के सशस्त्र बलों के किसी सदस्य, जो 01.01.1971 से 31.03.1999 तक की कालावधि के दौरान युद्ध या विद्रोह की जवाबी कार्रवाइयों और आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाइयों सहित किसी प्रतिरक्षा कार्रवाई में मारा गया था या स्थायी रूप से अशक्त हो गया था, के किसी एक आश्रित को अनुकम्पात्मक आधार पर नियुक्त करके, भर सकेगा :

परन्तु,-

(i) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी के स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक राज्य सरकार के अधीन स्वयं के लिए रोजगार प्राप्त करने में समर्थ और इच्छुक हो तो उसे रोजगार दिया जायेगा।

(ii) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी के कार्मिक, जिसकी मृत्यु हो गयी है या जो स्थायी रूप से अशक्त हो गया है, की विधवा या संतान तुरन्त रोजगार प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं तो नियुक्ति के लिए पात्रता अर्जित करने पर उन्हें रोजगार दिया जायेगा।

(2) सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक के आश्रित को नियुक्ति केवल तब दी जायेगी जब उनमें से किसी ने भी भारत सरकार के विद्यमान संबंधित सेवा नियमों के उपबंधों के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति नहीं पा ली है।

(3) यदि सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों के कार्मिक की मृत्यु के समय उनका कोई भी अन्य आश्रित केन्द्रीय/किसी राज्य सरकार के अधीन या केन्द्रीय/राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कानूनी बोर्ड/संगठन/निगम के अधीन नियमित आधार पर पहले से नियोजित हो तो ऐसे आश्रित को नियुक्ति नहीं दी जायेगी :

परन्तु यह शर्त वहां लागू नहीं होगी जहां विधवा स्वयं अपने लिए रोजगार चाहती है।

(4) ऐसा आश्रित उक्त प्रयोजन के लिए आवेदन सशस्त्र बलों के मामले में जिला सैनिक कल्याण अधिकारी को और पैरा-मिलिटरी बलों के लिए पैरा-मिलिटरी यूनिट के कमान अधिकारी को सम्बोधित करेगा जो उस यूनिट के प्रधान द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित हो जहां सशस्त्र बलों/पैरा-मिलिटरी बलों का मृत/स्थायी रूप से अशक्त सदस्य उसके मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के समय सेवारत था। ऐसे आवेदन पर, सामान्य भर्ती नियमों को शिथिल करते हुए इस शर्त के अध्यक्षीन विचार किया जायेगा कि आश्रित, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति को छोड़कर, जिसके लिए शैक्षिक अर्हताएं शिथिल की जायेंगी, ऐसे पद के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव तथा आयु सीमा पूरी करता है और सरकारी सेवा के लिए अन्यथा अर्हित भी है ।

(5) ऐसे आश्रित का आवेदन आश्रित द्वारा रखी जाने वाली अर्हताओं के अनुसार उपयुक्त नियुक्ति के लिए संबंधित जिला कलक्टर को अग्रेषित किया जायेगा। संबंधित जिले में रिक्ति उपलब्ध न होने की दशा में आवेदन खण्ड आयुक्त को भेजा जायेगा जो अपनी अधिकारिता के अधीन किसी भी जिले में नियुक्ति की व्यवस्था करेगा। यदि खण्ड आयुक्त की अधिकारिता के अधीन कोई रिक्त पद उपलब्ध नहीं हो तो नियुक्ति देने के लिए खण्ड आयुक्त द्वारा आवेदन, सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा।

(6) आवेदन में निम्नलिखित सूचनाएं होंगी :-

- (i) सशस्त्र बल/पैरा-मिलिटरी बल के मृत/स्थायी रूप से अशक्त कार्मिक का नाम और पदनाम ;
- (ii) यूनिट जिसमें वह मृत्यु/स्थायी रूप से अशक्त होने के पूर्व कार्यरत था/थी ;
- (iii) युद्ध में हताहत या स्थायी रूप से अशक्त घोषित करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये मृत्यु प्रमाणपत्र के साथ मृत्यु की तारीख और स्थान ; और

- (iv) आवेदक का नाम, जन्म की तारीख, शैक्षिक अर्हता और मृतक के साथ उसका सम्बन्ध (प्रमाणपत्रों सहित)।

**स्पष्टीकरण :** इस नियम के प्रयोजन के लिए ,-

- (i) "सशस्त्र बल" से संघ की थल सेना, नौ सेना और वायु सेना अभिप्रेत है;
- (ii) "आश्रित" से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति का पति या पत्नी, पुत्र/दत्तक पुत्र, अविवाहित पुत्री/अविवाहित दत्तक पुत्री अभिप्रेत है जो मृत/स्थायी रूप से अशक्त सशस्त्र बल सेवा कार्मिक/पैरा-मिलिटरी कार्मिक पर पूर्णतया आश्रित थे ;

**टिप्पण:-** दत्तक पुत्र/पुत्री से, मृत/स्थायी रूप से अशक्त व्यक्ति द्वारा उसके जीवनकाल में वैध रूप से दत्तक ग्रहण किया गया पुत्र/पुत्री अभिप्रेत है।

- (iii) "पैरा-मिलिटरी बल" से सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और कोई अन्य पैरा-मिलिटरी बल अभिप्रेत है जो केन्द्रीय और राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये ; और
- (iv) "स्थायी रूप से अशक्त " से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 49) में यथा उपबंधित पद "दिव्यांगजन" की परिभाषा के अधीन आता है।

#### 8. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- (1)

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, भर्ती अर्थात्सीधी भर्ती और पदोन्नति के समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुसार होगा।

(2) पदोन्नति के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां वरिष्ठता-एवं-योग्यता और योग्यता द्वारा भरी जायेंगी।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए ऐसे पात्र अभ्यर्थियों के संबंध में, जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्य हैं, अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका कौनसा रैंक है, इस पर ध्यान न देते हुए उसी क्रमानुसार नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम, सीधी भर्ती के लिए बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/नियुक्ति प्राधिकारी और पदोन्नत किये जाने वाले व्यक्तियों के मामले में इन नियमों के भाग-5 के अधीन गठित पदोन्नति बोर्ड द्वारा तैयार की गयी सूची में दिये गये हैं।

(4) नियुक्तियां सर्वथा सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए पृथक रूप से विहित रोस्टर के अनुसार की जायेंगी।

(5) किसी वर्ष-विशेष में सीधी भर्ती के लिए अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को पश्चातवर्ती तीन भर्ती वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा।

तीन भर्ती वर्षों की समाप्ति के पश्चात इस प्रकार अग्रणीत की गयी रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी :

परन्तु,-

- (i) यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नहीं की जाती है, तो ऐसे भर्ती वर्ष को इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए संगणित नहीं किया जायेगा :
- (ii) इस उप-नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिए ऐसी रिक्ति पश्चातवर्ती वर्षों में उपलब्ध हो।

(6) किसी वर्ष-विशेष में पदोन्नति के लिए अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों में के पात्र तथा उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को तब तक अग्रणीत किया जायेगा जब तक अनुसूचित जातियों और, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों का/के उपयुक्त अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) उपलब्ध नहीं होता है/होते हैं। किन्हीं भी परिस्थितियों में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित कोई रिक्ति पदोन्नति द्वारा सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरी जायेगी। आपवादिक मामलों में, जहां नियुक्ति प्राधिकारी लोकहित में यह महसूस करे कि रिक्त आरक्षित पद (पदों) को अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थियों से पदोन्नति द्वारा भरना आवश्यक है, वहां नियुक्ति प्राधिकारी कार्मिक विभाग को निर्देश कर सकेगा और कार्मिक विभाग का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अर्जेंट अस्थायी आधार पर सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को पदोन्नत करके ऐसे पद (पदों) को पदोन्नति आदेश में यह स्पष्ट उल्लिखित करते हुए भर सकेगा कि सामान्य प्रवर्ग के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) को, जिसे (जिन्हें) अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्त पद के प्रति अर्जेंट अस्थायी आधार पर पदोन्नत किया जा रहा है, जब कभी भी उस प्रवर्ग का/के अभ्यर्थी (अभ्यर्थियों) उपलब्ध हो/हों, वह पद रिक्त करना होगा:

परन्तु सेवा के किसी संवर्ग में के पदों या पदों के वर्ग/प्रवर्ग/समूह की रिक्तियों को वहां अग्रणीत नहीं किया जायेगा, जहां पदोन्नतियां इन नियमों के अधीन केवल योग्यता के आधार पर की जाती हैं।



**9. पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती के समय प्रवृत्त विधि के उपबंध के अनुसार होगा। किसी वर्ष-विशेष में पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जायेगा।

**10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** सीधी भर्ती में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त, 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

**स्पष्टीकरण:** इस नियम के प्रयोजन के लिए 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' वे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुंब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुंब' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, उसका पति /उसकी पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। 'आय' में समस्त स्रोत अर्थात्वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से प्राप्त आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय होगी।

**11. महिलाओं के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** सीधी भर्ती में महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 30 प्रतिशत प्रवर्गवार होगा जिसमें से एक तिहाई विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला-अभ्यर्थियों के लिए 80:20 के अनुपात में होगा। किसी वर्ष-विशेष में या तो विधवा या विच्छिन्न विवाह-महिलाओं में से किसी में भी पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को पहले अन्तर-परिवर्तन द्वारा, अर्थात्विधवाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों को विच्छिन्न विवाह-महिलाओं से विपर्ययेन, भरा जा सकेगा। पर्याप्त रूप से विधवा और विच्छिन्न विवाह-अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में न भरी गयी रिक्तियां उसी प्रवर्ग की अन्य महिलाओं द्वारा भरी जायेंगी और पात्र तथा उपयुक्त महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उस प्रवर्ग जिसके लिए रिक्तियां आरक्षित हैं के पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा भरी जायेंगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्ति पश्चातवर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी। विधवाओं और विच्छिन्न विवाह-महिलाओं को सम्मिलित करते हुए, महिलाओं के लिए आरक्षण को प्रवर्ग के भीतर क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा अर्थात्प्रवर्ग की सामान्य योग्यता में चयनित महिलाओं को पहले महिला कोटे के प्रति समायोजित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण : विधवा के मामले में, उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा और विच्छिन्न विवाह-महिला के मामले में उसे विवाह-विच्छेद का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

**12. उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण उस वर्ष में सेवा के अधीन सीधी भर्ती के लिए चिन्हित, आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर की कुल रिक्तियों का 2 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में पात्र और उपयुक्त खिलाड़ियों की अनुपलब्धता की दशा में, उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी और ऐसी रिक्तियां पश्चातवर्ती भर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेंगी। खिलाड़ियों के लिए आरक्षण क्षैतिज आरक्षण माना जायेगा तथा इसे उस प्रवर्ग में समायोजित किया जायेगा, जिससे वे खिलाड़ी संबंधित हैं।

स्पष्टीकरण : "उत्कृष्ट खिलाड़ियों" से ऐसे खिलाड़ी अभिप्रेत हैं जो राजस्थान राज्य के मूल निवासी हैं, और जिन्होंने,-

- (i) नीचे दी गई सारणी के स्तंभ संख्यांक 2 में उल्लिखित अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय द्वारा आयोजित, उक्त सारणी के स्तंभ संख्यांक 3 में उल्लिखित किसी खेलकूद के अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट/चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो,-

सारणी

क्र.सं.	अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स निकाय	टूर्नामेंट/ चैम्पियनशिप का नाम
1.	2.	3.
1.	अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (अ.ओ.स.)	ओलंपिक खेल (ग्रीष्म)
2.	एशिया ओलंपिक परिषद्(ए.ओ.प.)	एशियाई खेल
3.	दक्षिण एशियाई ओलंपिक परिषद् (द.ए.ओ.प.)	दक्षिण एशियाई खेल; सामान्यतः एस.ए.एफ गेम्स के रूप में जाना जाता है
4.	कॉमन वेल्थ गेम्स फेडरेशन (कॉ.वे.गे.फे.)	कॉमनवेल्थ गेम्स
5.	अ.ओ.स. से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन	वर्ल्ड कप/वर्ल्ड चैम्पियनशिप
6.	ए.ओ.प. से संबद्ध एशियाई स्पोर्ट्स फेडरेशन	एशियाई चैम्पियनशिप
7.	अंतरराष्ट्रीय स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन	अंतरराष्ट्रीय स्कूल खेल/

	(अं.स्.स्.फे.)	चैम्पियनशिप
8.	एशियाई स्कूल स्पोर्ट्स फेडरेशन (ए.स्.स्.फे.)	एशियाई स्कूल खेल/ चैम्पियनशिप

या

(ii) भारत के स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के स्कूल नेशनल गेम्स में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो ;

या

(iii) इंडियन ओलम्पिक एसोसिएशन या उससे संबद्ध नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन (एन.एस.एफ) द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के राष्ट्रीय टूर्नामेंट/ चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद में अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो;

या

(v) भारत ओलंपिक एसोसिएशन/भारत पैरा ओलम्पिक समिति या उससे संबद्ध राष्ट्रीय स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित किसी खेलकूद के राष्ट्रीय खेल/राष्ट्रीय पैरा गेम्स या राष्ट्रीय चैम्पियनशिप/पैरा राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया हो।

**13. भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.-** सम्यक् रूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्तियों का आरक्षण, कांस्टेबल (ड्राईवर) के पद हेतु सीधी भर्ती की कुल रिक्तियों का एक तिहाई होगा। ऐसा आरक्षण प्रवर्गवार होगा और अपनी स्वयं की योग्यता पर चयनित भूतपूर्व सैनिक की गणना भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के प्रति की जायेगी। किसी प्रवर्ग में उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक की अनुपलब्धता की दशा में रिक्ति उसी प्रवर्ग के अन्य उपयुक्त अभ्यर्थियों से उनकी योग्यताक्रम में भरी जायेगी और अग्रणीत नहीं की जायेगी। आरक्षण विभक्त क्षैतिज आरक्षण के रूप में माना जायेगा।

**14. राष्ट्रीयता.-** सेवा में नियुक्ति के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि वह,-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) नेपाल का प्रजाजन हो; या

(ग) भूटान का प्रजाजन हो; या

(घ) भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 1 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत में आया तिब्बती शरणार्थी हो ; या

(ड) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा तथा संयुक्त तनजानिया गणतंत्र (पूर्ववर्ती टांगानिका और जंजीबार), जाम्बिया, मालावी, जैरे और इथियोपिया से आया हो :

परन्तु (ख), (ग), (घ) और (ड) प्रवर्गों का कोई अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा उचित सत्यापन के पश्चात पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

**15. अन्य देशों से भारत में आये व्यक्तियों की पात्रता की शर्तें.-** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे व्यक्ति के बारे में, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से अन्य देशों से भारत में आया हो, सेवा में भर्ती की पात्रता हेतु राष्ट्रीयता, आयु-सीमा और फीस या अन्य रियायतों संबंधी उपबंध ऐसे आदेशों या अनुदेशों द्वारा विनियमित होंगे जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये जायें और ऐसे आदेश या अनुदेश भारत सरकार द्वारा उस विषय पर जारी किये गये अनुदेशों के अनुसार, यथावश्यक परिवर्तन सहित, विनियमित किये जायेंगे।

**16. रिक्तियों का अवधारण.-** (1) इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाली रिक्तियों की वास्तविक संख्या अवधारित करेगा।

(2) जहां कोई पद नियमों या अनुसूची में यथा विहित किसी एकल रीति से भरा जाना हो वहां इस प्रकार अवधारित रिक्तियां उस रीति से भरी जायेंगी।

(3) जहां कोई पद इन नियमों या अनुसूची में यथा विहित एक से अधिक रीतियों से भरा जाना हो वहां ऐसी प्रत्येक रीति के लिए उपर्युक्त उप-नियम (1) के अधीन अवधारित रिक्तियों का प्रभाजन पहले ही भर लिये गये पदों की संपूर्ण संख्या के लिए विहित अनुपात को बनाये रखते हुए किया जायेगा। यदि ऊपर विहित रीति से रिक्तियों के प्रभाजन के पश्चात् रिक्तियों का कोई भाग छूट जाये तो उसे, पदोन्नति कोटे में अग्रता देते हुए, निरंतर चक्रीय क्रम में विहित विभिन्न रीतियों के कोटे के प्रति प्रभाजित किया जायेगा।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी, पूर्वतर वर्ष (वर्षों) की रिक्तियों को भी, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरा जाना अपेक्षित था, वर्षवार अवधारित करेगा, यदि ऐसी रिक्तियां पहले अवधारित न की गयी हों और उस वर्ष में, जिसमें उनका भरा जाना अपेक्षित था, भरी न गयी हों।

**17. आयु.-** अनुसूची-1 और II के स्तंभ 2 में प्रगणित समस्त पदों पर सीधी भर्ती का कोई अभ्यर्थी, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत अंतिम तारीख के ठीक बाद आने वाले जनवरी के प्रथम दिन को 20 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए:

परन्तु,-

- (i) उपरिल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को, -
- (क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;
- (ख) सामान्य प्रवर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक ;
- (ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक ;
- शिथिल किया जायेगा।
- (ii) भूतपूर्व सेवा कार्मिकों और रिजर्विस्टों अर्थात् रिजर्व में स्थानान्तरित रक्षा कार्मिकों के मामले में उपरिल्लिखित ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी ;
- (iii) कैडेट अनुदेशकों के मामले में उपरिल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को, उनके द्वारा राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन.सी.सी.) में दी गयी सेवा के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा और यदि पारिणामिक आयु विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो उन्हें विहित आयु सीमा में ही समझा जायेगा;
- (iv) उपरिल्लिखित ऊपरी आयु सीमा को होम गार्ड विभाग में स्वयं सेवक के रूप में सदस्यता की अवधि के बराबर की कालावधि तक शिथिल किया जायेगा। होम गार्ड स्वयं सेवक के रूप में नामांकित किये गये व्यक्तियों को, यदि वे प्रारम्भिक नामांकन करने के समय आयु सीमा में थे, आयु सीमा में ही समझा जायेगा, चाहे उन्होंने बोर्ड/भर्ती बोर्ड/ नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष अंतिम रूप से उपस्थित होने के समय ऊपरी आयु सीमा पार कर ली हो और यदि वे अपनी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर तक दिये जायेंगे। तथापि, इस प्रवर्ग के अधीन ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
- (v) निर्मुक्त आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों को एवं लघु सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को, सेना से निर्मुक्त होने के पश्चात जब वे बोर्ड/भर्ती बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हों, आयु सीमा में समझा जाएगा चाहे उन्होंने आयु सीमा पार कर ली हो, यदि वे सेना में कमीशन ग्रहण करने के समय आयु सीमा की दृष्टि से पात्र थे।

**18. शैक्षणिक और तकनीकी अर्हताएं तथा अनुभव.-** अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पद (पदों) पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी निम्नलिखित अर्हताएं रखेगा :-

- (I) अनुसूची-I या, यथास्थिति, अनुसूची-II के स्तंभ संख्यांक 4 में यथा विहित अर्हताएं और अनुभव; और
- (II) "देवनागरी" लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान:

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता वाले ऐसे पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हो चुका है या उपस्थित हो रहा है, उस पद के लिए आवेदन करने का पात्र होगा/होगी किन्तु उसे ,-

- (I) जहां चयन लिखित परीक्षा के दो प्रक्रमों और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, मुख्य परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व;
- (II) जहां चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ; और
- (III) जहां चयन केवल लिखित परीक्षा या, यथास्थिति, केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता हो, लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में उपस्थित होने से पूर्व ,

समुचित चयन एजेंसी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित कर लेने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

**19. चरित्र.-** सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए अर्हित करे। उसे विद्यालय या विश्वविद्यालय या महाविद्यालय, जिसमें उसने अंतिम बार शिक्षा पायी थी, के प्राचार्य/शैक्षणिक अधिकारी द्वारा प्रदत्त सच्चरित्रता का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए और साथ ही ऐसे दो प्रमाणपत्र, जो आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से छह मास से अधिक पूर्व के लिखे हुए न हों, ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रस्तुत करने चाहिए जो उसके विद्यालय या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से सम्बद्ध न हों और न उसके संबंधी हों।

**टिप्पण : (1)** किसी न्यायालय द्वारा की गयी दोषसिद्धि मात्र में सच्चरित्रता प्रमाणपत्र दिये जाने से इन्कार अन्तर्वलित नहीं है। दोषसिद्धि की परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि उनमें नैतिक अधमता संबंधी कोई बात अन्तर्वलित नहीं है या उनका संबंध हिंसात्मक अपराधों या ऐसे आन्दोलनों से नहीं है, जिनका उद्देश्य विधि द्वारा स्थापित सरकार को हिंसात्मक तरीकों से उलटना हो तो दोषसिद्धि मात्र को निरर्हता नहीं समझा जाना चाहिए।

- (2) ऐसे भूतपूर्व कैदियों के साथ, जिन्होंने कारागार में रहते हुए अपने अनुशासित जीवन से और पश्चातवर्ती सदाचरण से अपने आप को पूर्णतया सुधरा हुआ सिद्ध कर दिया हो, सेवा में नियोजन के प्रयोजन के लिए इस आधार पर विभेद नहीं किया जाना चाहिए कि वे पहले सिद्धदोष ठहराये जा चुके हैं। उन व्यक्तियों को, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित नहीं है, पूर्णतया सुधरा हुआ मान लिया जायेगा, यदि वे पश्चातवर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक की, या यदि किसी जिला- विशेष में ऐसे गृह नहीं हैं तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक की, इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें।
- (3) उन व्यक्तियों से, जिन्हें ऐसे अपराधों के लिए, जिनमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित है, सिद्धदोष ठहराया गया है, पश्चातवर्ती देखरेख गृह के अधीक्षक का या यदि किसी जिला-विशेष में ऐसा गृह नहीं है तो उस जिले के पुलिस अधीक्षक का, कारागार के महानिरीक्षक द्वारा पृष्ठांकित इस आशय का, कि उन्होंने कारावास के दौरान अपने अनुशासित जीवन से तथा पश्चातवर्ती देखरेख गृह में अपने पश्चातवर्ती सदाचरण से यह सिद्ध कर दिया है कि वे अब पूर्णतः सुधर गये हैं अतः नियोजन के लिए उपयुक्त हैं, प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जायेगी।

**20. शारीरिक उपयुक्तता.-** (1) सेवा में सीधी भर्ती के अभ्यर्थी को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें किसी प्रकार का ऐसा कोई मानसिक और शारीरिक नुक्स नहीं होना चाहिए जिससे सेवा के सदस्य के रूप में उसके कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा आने की संभावना हो और यदि वह चयनित हो जाये तो उसे सरकार द्वारा उस प्रयोजन के लिए अधिसूचित किसी चिकित्सा प्राधिकारी का इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी पदोन्नति की नियमित पंक्ति में पदोन्नत अभ्यर्थी के मामले में या जो पहले से राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत हो, ऐसा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने से अभिमुक्त कर सकेगा यदि पूर्ववर्ती नियुक्ति के लिए उसकी चिकित्सीय परीक्षा पहले ही कर ली गयी हो और उसके द्वारा धारित दोनों पदों के लिए चिकित्सीय परीक्षा के आवश्यक मानक नये पद (पदों) के कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण प्रतिपादन के लिए तुलनात्मक पाये गये हो और आयु के कारण उस प्रयोजन के लिए उसकी कार्यदक्षता में कोई कमी न आयी हो।

(2) महिला अभ्यर्थी के मामले को छोड़कर, कोई भी अभ्यर्थी जिसकी ऊंचाई 168 से.मी. से कम है और सीने के न्यूनतम 5 से.मी. फुलाव के साथ जिसका बिना फुलाया हुआ सीना 81 से.मी. से कम है और फुलाया हुआ सीना 86 से.मी. से कम है, शारीरिक रूप से उपयुक्त नहीं समझा जायेगा :

परन्तु -

- (i) पहाड़ी और जनजाति क्षेत्र के पुरुष और महिला अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई क्रमशः 160 से.मी. और 140 से.मी. से कम नहीं होगी और सीने के न्यूनतम 5 से.मी. फुलाव के साथ उनका (पुरुष) बिना फुलाया हुआ तथा फुलाया हुआ सीना क्रमदृग्ः 79 से.मी. और 84 से.मी. से कम नहीं होगा तथा महिला अभ्यर्थियों का वजन 43 कि.ग्रा. से कम नहीं होगा।
- (ii) सामान्य क्षेत्र की महिला अभ्यर्थियों की ऊंचाई और वजन क्रमशः 152 से.मी. और 47.5 किलोग्राम से कम नहीं होगा।
- (iii) कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए, बारां जिला की सहरिया जनजाति का अभ्यर्थी शारीरिक रूप से उपयुक्त माना जायेगा यदि:-
  - (क) उस पुरुष अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 160 से.मी. से कम नहीं है और उसका बिना फुलाया हुआ और फुलाया हुआ सीना क्रमशः 74 से.मी. और 79 से.मी. से कम नहीं है तथा उसका न्यूनतम 5 से.मी. का फुलाव अपेक्षित है, और
  - (ख) उस महिला अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई और वजन क्रमशः 145 से.मी. और 43 कि.ग्रा. से कम नहीं है।
- (iv) यदि उपरोक्त यथा अधिकथित शारीरिक उपयुक्तता मानक रखने वाले अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी अपेक्षित संख्या में उपलब्ध न हों तो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उन अभ्यर्थियों को जिनकी ऊंचाई और सीने का माप 5 से.मी. तक कम है, उन्हें (पुरुष) सीने के न्यूनतम 5 से.मी. के फुलाव के साथ शारीरिक रूप से उपयुक्त समझा जायेगा।

**21. अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग.-** ऐसा अभ्यर्थी, जो प्रतिरूपण करने का या बनावटी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेजों, जिनमें गड़बड़ की गयी है, प्रस्तुत करने का या ऐसे कथन करने का जो सही नहीं है या मिथ्या हैं या महत्वपूर्ण सूचना छिपाने का या परीक्षा या साक्षात्कार में अनुचित साधनों का प्रयोग करने या उनका प्रयोग करने का प्रयास करने या परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन काम में लाने का दोषी है या बोर्ड/भर्ती बोर्ड/ नियुक्ति प्राधिकारी या, यथास्थिति, पदोन्नति बोर्ड द्वारा दोषी घोषित किया गया है तो दाण्डिक कार्यवाही किये जाने का दायी होने के अतिरिक्त उसे,-



(क) अभ्यर्थी के चयन के लिए बोर्ड/भर्ती बोर्ड/ नियुक्ति प्राधिकारी या पदोन्नति बोर्ड द्वारा किसी परीक्षा में प्रवेश पाने से या बोर्ड/भर्ती बोर्ड/ नियुक्ति प्राधिकारी या पदोन्नति बोर्ड द्वारा लिए गये किसी बोर्ड साक्षात्कार में उपस्थित होने से; और

(ख) सरकार के अधीन नियोजन से सरकार द्वारा,

या तो स्थायी रूप से या किसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए विवर्जित किया जायेगा।

**22. संयाचना.-** नियमों के अधीन अपेक्षित से अन्यथा भर्ती के लिए किसी प्रकार की लिखित या मौखिक सिफारिश पर विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा उसकी अभ्यर्थिता के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किया गया प्रयत्न उसे भर्ती के लिए निरहित कर सकेगा ।

#### भाग 4

#### सीधी भर्ती की प्रक्रिया

**23. आवेदन आमंत्रित करना.-** (1) अनुसूची-I में यथा उल्लिखित कांस्टेबल, कांस्टेबल (बिगुलची/ड्रममैन) के पद और अनुसूची-II में यथा उल्लिखित हैड कांस्टेबल (आर्मरर), कांस्टेबल (ड्राईवर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में, जो उसके द्वारा अधिकथित की जाये, आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में यह खण्ड होगा कि ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और उस पद के पे मैट्रिक्स में लेवल जैसा कि विज्ञापन में अन्यत्र उल्लिखित है, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा।

(2) अनुसूची-I में प्लाटून कमांडर के पद और अनुसूची-II उपनिरीक्षक (मो.प.) उपनिरीक्षक (आर्मरर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन बोर्ड /भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को राजपत्र में या ऐसी अन्य रीति से, जो ठीक समझी जाये, विज्ञापित करके आमंत्रित किये जायेंगे। विज्ञापन में ये खण्ड होगा कि ऐसी किसी अभ्यर्थी को, जो उसे प्रस्तावित किये जा रहे पद का कर्तव्यभार स्वीकार करता है, परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा और उस पद के पे मैट्रिक्स में लेवल जैसा कि विज्ञापन में अन्यत्र उल्लिखित है, इन नियमों में उल्लिखित परिवीक्षा की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने की तारीख से ही अनुज्ञात किया जायेगा:

परन्तु इस प्रकार विज्ञापित पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन करते समय बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/ नियुक्ति प्राधिकारी यदि उसे विज्ञापित रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अनधिक की

अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना चयन के लिए प्राप्त हो जाये, ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का प्रवर्गवार चयन भी कर सकेगा।

**24. सीधी भर्ती की आवृत्ति.-** अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट पद (पदों) पर सीधी भर्ती तब तक वर्ष में कम से कम एक बार की जायेगी जब तक कि सरकार यह विनिश्चय नहीं कर ले कि इनमें से किसी पद के लिए किसी वर्ष- विशेष में सीधी भर्ती आयोजित नहीं की जायेगी।

**25. आवेदन का प्ररूप.-** (1) अनुसूची-I में यथा विनिर्दिष्ट प्लाटून कमांडर के पद और अनुसूची-II में यथा विनिर्दिष्ट उपनिरीक्षक (मो.प.), उपनिरीक्षक (आर्मरर) के पद के लिए आवेदन बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित प्ररूप में होगा और अनुसूची-I में यथा उल्लिखित कांस्टेबल, कांस्टेबल ( बिगुलची /ड्रममैन) के पद और अनुसूची-II में यथा उल्लिखित हैड कांस्टेबल (आर्मरर), कांस्टेबल (ड्राइवर) के पद के लिए आवेदन नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित प्ररूप में होगा ।

(2) आवेदन प्ररूप बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/ नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से ऐसी फीस के संदाय पर जो बोर्ड/भर्ती बोर्ड/ नियुक्ति प्राधिकारी समय-समय पर नियत करे, प्राप्त किया जा सकेगा ।

**26. परीक्षा या आवेदन फीस.-** (1) सेवा में के किसी पद पर सीधी भर्ती का अभ्यर्थी बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथा नियत की गयी फीस का, ऐसी रीति से, जो वह उपदर्शित करे, संदाय करेगा ।

(2) परीक्षा फीस के प्रतिदाय का कोई भी दावा ग्राह्य नहीं होगा और न ही फीस किसी अन्य परीक्षा के लिए आरक्षित की जायेगी, सिवाय उस स्थिति के जब अध्यपेक्षा करने वाले प्राधिकारी द्वारा अध्यपेक्षा प्रत्याहृत करने के कारण या अन्य किसी कारण के लिए विज्ञप्ति रद्द की जाती है तो ऐसे मामले में राशि का प्रतिदाय किया जायेगा:

परन्तु फीस के प्रतिदाय के लिए कोई दावा बोर्ड/भर्ती बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को प्रतिदाय के पत्र जारी करने की तारीख से एक माह की कालावधि के पश्चात ग्राह्य नहीं होगा।

**27. परीक्षा में प्रवेश .-** (1) ऐसे आवेदन, जो अपूर्ण पाये जायें और बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/ नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार भरे नहीं गये हों, बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक स्तर पर ही अस्वीकृत कर दिये जायेंगे। बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे शेष अभ्यर्थियों को परीक्षा में अनंतिम रूप से उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात करेगा जिन्हें वह प्रवेश प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए उचित समझे। किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में प्रवेश तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह उस परीक्षा में प्रवेश हेतु बोर्ड/भर्ती बोर्ड /नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र धारित न करता हो। परीक्षा में उपस्थित होने के पूर्व, अभ्यर्थी द्वारा यह स्वयं सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वह आयु, शैक्षिक अर्हताओं, अनुभव इत्यादि के संबंध में इन नियमों में यथा-उपबंधित शर्तें पूरी करता है। परीक्षा देने की अनुज्ञा अभ्यर्थी को पात्रता की उपधारणा के लिए हकदार नहीं बनायेगी। बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/ नियुक्ति प्राधिकारी बाद में केवल ऐसे

अभ्यर्थियों के आवेदनों की संवीक्षा करेगा जो लिखित परीक्षा अर्हित करें और उन्हें और परीक्षण/परीक्षा का प्रवेश प्रमाणपत्र जारी करेगा जो पात्र पाये जायें।

(2) अनुसूची-I में उल्लिखित प्लाटून कमांडर के पद के लिए और अनुसूची-II में उल्लिखित उपनिरीक्षक (मो.प.), उपनिरीक्षक (आर्मरर) के पद के लिए सीधी भर्ती हेतु परीक्षा में अभ्यर्थी के प्रवेश, पात्रता और शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा अभिरूचि परीक्षण एवं साक्षात्कार में पारिणामिक प्रवेश पर बोर्ड/भर्ती बोर्ड /नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा ।

**28. प्रतियोगी परीक्षा के संचालन के लिए प्राधिकारी .-** (1) अनुसूची- I में प्लाटून कमांडर के पद और अनुसूची-II में उल्लिखित उपनिरीक्षक(मो.प.), उपनिरीक्षक (आर्मरर) के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा का संचालन बोर्ड/भर्ती बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इन नियमों की अनुसूची-III में यथा उल्लिखित लिखित परीक्षा के लिए स्कीम के अनुसार किया जायेगा।

(2) उपरोक्त उप-नियम (1) में निर्दिष्ट, बोर्ड/ भर्ती बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संचालित की जाने वाली लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए पाठ्य विवरण ऐसा होगा जो बोर्ड/भर्ती बोर्ड द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी के परामर्श से समय-समय पर विहित किया जाये।

(3) बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/ नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे किसी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो लिखित परीक्षा के प्रत्येक प्रश्नपत्र में न्यूनतम 36 प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में विफल रहा है:

परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों पर, प्रत्येक प्रश्नपत्र में और योग में पांच प्रतिशत तक का शिथिलीकरण लागू होगा।

(4) बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/ नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक प्रवर्ग अर्थात् अनारक्षित/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में रिक्तियों की संख्या के दस गुणा तक सीमित ऐसे सफल अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगा।

(5) (i) बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/ नियुक्ति प्राधिकारी लिखित परीक्षा में किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों की पुनः गणना का आदेश, अंक तालिका जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर-भीतर, ऐसी फीस के संदाय पर, जो बोर्ड/भर्ती बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर नियत की जाये, दे सकेगा किन्तु उत्तर पत्र के मुल्यांकन की पुनः परीक्षा नहीं की जायेगी।

- (ii) बोर्ड/भर्ती बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त खण्ड (i) के उपबंधों के अनुसरण में अंकों की पुनः गणना पर पायी गयी ऐसी त्रुटियों को परिशोधन करने के उपाय कर सकेगा ।
- (iii) यदि ऐसा सुधार करने के परिणामस्वरूप बोर्ड/भर्ती बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी को यह ज्ञात हो कि अभ्यर्थी चयन का पात्र हो गया है तो ऐसा तथ्य तत्काल और किसी भी दशा में परिणाम घोषित होने से 40 दिन से अनधिक की कालावधि में बोर्ड/भर्ती बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित कर दिया जायेगा और पूर्व घोषित परिणाम उस सीमा तक उपान्तरित समझा जायेगा ।
- (6) अनुसूची-I में प्लाटून कमांडर के पद और अनुसूची-II में उपनिरीक्षक (मो.प.), उपनिरीक्षक (आर्मरर) के पद के लिए उपरोक्त उप-नियम (3) के अधीन उन समस्त अभ्यर्थियों से, जो सफल घोषित किये गये हैं, शारीरिक दक्षता बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत होने की अपेक्षा की जायेगी जिसमें उप-निरीक्षक (मो.प.), उप-निरीक्षक (आर्मरर) के पद के लिए अपेक्षित, विशेषज्ञता वाले पद हेतु उनके तकनीकी ज्ञान को परखने के लिए तकनीकी विशेषज्ञ होगा:-

(i)	महासमादेष्टा होम गार्ड/अतिरिक्त महानिदेशक /उप महासमादेष्टा होम गार्ड	अध्यक्ष
(ii)	समादेष्टा	सदस्य
(iii)	उप समादेष्टा	सदस्य-सचिव
(iv)	सुसंगत क्षेत्र का एक तकनीकी विशेषज्ञ	सहयोजित सदस्य, यदि अपेक्षित हो

**टिप्पण:** सदस्य, सदस्य-सचिव और सहयोजित सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किया जायेगा। तकनीकी विशेषज्ञ केवल तकनीकी पदों के लिए नामनिर्देशित किया जायेगा ।

शारीरिक दक्षता परीक्षण 100 अंकों का होगा और जो अभ्यर्थी, उसमें 50 प्रतिशत अंक प्राप्त कर लेता है वह बोर्ड या, यथास्थिति, भर्ती बोर्ड द्वारा चयन के लिए पात्र होगा। अभ्यर्थी की उपयुक्तता विनिर्णित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा अधिकथित शारीरिक दक्षता परीक्षण कठोर होगा।

(7) वे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त उप-नियम (3) के अधीन लिखित परीक्षा में और उपरोक्त उप-नियम (6) के अधीन शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल घोषित किया जाता है, अभिरूचि परीक्षण और साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे :

परन्तु अभिरूचि परीक्षण और साक्षात्कार के लिए बुलाये गये अभ्यर्थियों की संख्या लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण दोनों में प्राप्त कुल अंकों पर आधारित योग्यता के आधार पर रिक्तियों की संख्या के तीन गुना तक निर्बंधित की जायेगी सिवाय अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अभ्यर्थियों के मामले में जो विहित सीमा के आधिक्य में अभिरूचि परीक्षण और साक्षात्कार के लिए पात्र होंगे यदि उन्होंने लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा अर्हित कर ली है।

(8) अनुसूची-1 में उल्लिखित प्लाटून कमांडर के पद और अनुसूची- 11 में उल्लिखित उपनिरीक्षक (मो.प.), उपनिरीक्षक (आर्मरर) के पद के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण अर्हित करने वाले अभ्यर्थी का अभिरूचि परीक्षण और साक्षात्कार 50 अंकों का होगा और बोर्ड/भर्ती बोर्ड द्वारा लिया जायेगा जिसमें निम्नलिखित होंगे:

- |   |            |
|---|------------|
| (i) अध्यक्ष या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट बोर्ड/भर्ती बोर्ड का सदस्य।   | अध्यक्ष    |
| (ii) महासमादेष्टा, होम गार्ड/अतिरिक्त महानिदेशक।  | सदस्य      |
| (iii) बोर्ड/ भर्ती बोर्ड द्वारा नियुक्त प्राधिकारी के परामर्श से नामनिर्दिष्ट होम गार्ड विभाग का उप महासमादेष्टा से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी। | सदस्य-सचिव |
| (iv) बोर्ड/भर्ती बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक मनोविज्ञानी।  | सदस्य      |

बोर्ड/भर्ती बोर्ड/ नियुक्त प्राधिकारी, व्यक्तित्व, सम्बोधन, चातुर्य, व्यवहार, विशेष प्रशिक्षण, पद के लिए प्रवणता, निर्णय संतुलन, नेतृत्व और राजस्थानी संस्कृति के ज्ञान को ध्यान में रखते हुए पद पर उपयुक्तता के संबंध में प्रत्येक अभ्यर्थी को अंक प्रदान करेगा। इस प्रकार प्रदान किये गये अंक प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़े जायेंगे। एन.सी.सी 'सी' प्रमाणपत्र वाले अभ्यर्थी और जिन्होंने होमगार्ड स्वयंसेवक के रूप में 5 वर्ष लगातार नामांकन पूर्ण कर लिया है को, प्रवणता परीक्षा और साक्षात्कार के लिए अंक प्रदान करते हुए सम्यक्अधिमानता दी जायेगी।

29. बोर्ड/भर्ती बोर्ड/नियुक्त प्राधिकारी की सिफारिशें.- बोर्ड/भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/नियुक्त प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की, जिन्हें वह संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे, योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची तैयार करेगा और उसे नियुक्त प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। बोर्ड/भर्ती बोर्ड/नियुक्त प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की सिफारिश नहीं करेगा जिन्होंने अनुसूची-1 में उल्लिखित प्लाटून कमांडर और अनुसूची- 11 में उल्लिखित उपनिरीक्षक (मो.प.), उपनिरीक्षक (आर्मरर) के पद के लिए कुल मिलाकर 45% से कम अंक प्राप्त किये हैं :

परन्तु बोर्ड/ भर्ती बोर्ड/ नियुक्त प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों/अति पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सिफारिश कर सकेगा जिन्हें, न्यूनतम अंक प्राप्त करने में विफल रहने के बावजूद, बोर्ड द्वारा, प्रशासन की दक्षता का सम्यक् ध्यान रखते हुए, सेवा में

नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया है यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार में 12.5% अंक और, यथास्थिति, कुल मिलाकर 40% अंक प्राप्त करते हैं।

**30. कांस्टेबल के पद पर भर्ती.-** (1) इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अनुसूची-1 में उल्लिखित कांस्टेबल, कांस्टेबल(बिगुलची/ड्रममैन) के पद और अनुसूची-11 कांस्टेबल (ड्राईवर), हैड कांस्टेबल (आर्मरर) के पद चयन के लिए कोई साक्षात्कार नहीं होगा और इन पदों पर चयन, महासमादेष्टा, होम गार्ड द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण के अनुसार लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण साथ ही तकनीकी ज्ञान का परीक्षण, यदि अपेक्षित हो, संचालित करके किया जायेगा। चयन प्रक्रिया में एन.सी.सी 'सी' प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थी और होम गार्ड स्वयं सेवक को सम्यक् अधिमानता दी जायेगी। लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण नीचे उप-नियम (2) में यथा उल्लिखित भर्ती बोर्ड द्वारा संचालित किया जायेगा।

(2) अनुसूची-1 में उल्लिखित कांस्टेबल, कांस्टेबल (बिगुलची/ड्रममैन) के पद और अनुसूची-11 में उल्लिखित कांस्टेबल (ड्राईवर), हैड कांस्टेबल (आर्मरर) के पद के लिए भर्ती बोर्ड निम्नानुसार होगा:-

(i)	महासमादेष्टा, होम गार्ड/ अतिरिक्त महानिरीक्षक, होमगार्ड	अध्यक्ष
(ii)	अतिरिक्त महानिदेशक, होम गार्ड/महानिरीक्षक, होमगार्ड/ उप महासमादेष्टा, होम गार्ड	सदस्य
(iii)	समादेष्टा	सदस्य-सचिव
(iv)	सुसंगत क्षेत्र का एक तकनीकी विशेषज्ञ	सहयोजित सदस्य, यदि अपेक्षित हो

टिप्पण: सदस्य, सदस्य-सचिव और सहयोजित सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। तकनीकी विशेषज्ञ केवल तकनीकी पदों के लिए ही नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।

स्पष्टीकरण: नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त उप-नियम (2) में यथा उल्लिखित पदों पर अभ्यर्थियों के चयन के प्रयोजन के लिए एक से अधिक भर्ती बोर्ड गठित कर सकेगा।

**31. नियुक्ति के लिए निरर्हताएं.-** (1) कोई पुरुष/महिला अभ्यर्थी, जिसकी/जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां/पति हैं, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी सिवाय जब तक कि सरकार, यह समाधान कर लेने के पश्चात्कि ऐसा करने के लिए वैयक्तिक विधि के अधीन विशेष आधार हैं, किसी अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे ।

(2) कोई महिला अभ्यर्थी, जिसका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ हो जिसके पहले से कोई जीवित पत्नी है, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगी सिवाय उस दशा के जहां नियुक्ति प्राधिकारी सरकार के परामर्श से, यह समाधान कर लेने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार हैं, किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट न दे दे।

(3) कोई भी विवाहित अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी यदि उसने अपने विवाह के समय या उसके पश्चात किसी भी समय कोई दहेज स्वीकार किया हो।

**स्पष्टीकरण :** इस नियम के प्रयोजन के लिए 'दहेज' का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 28) में दिया गया है।

(4) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु,-

- (i) दो से अधिक संतानों वाला अभ्यर्थी तब तक नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं समझा जायेगा जब तक उसकी संतानों की उस संख्या में, 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है :
- (ii) जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है किन्तु पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा :
- (iii) इस उप-नियम के उपबंध, राजस्थान मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम, 1996 के अधीन किसी विधवा को दी जाने वाली नियुक्ति पर लागू नहीं होंगे :
- (iv) किसी अभ्यर्थी की संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय, ऐसी संतान को नहीं गिना जायेगा जो पूर्व के प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्तता से ग्रस्त हो।
- (v) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनर्विवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनर्विवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं है तो उसे निरर्हित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनर्विवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म हुआ हो।

**32. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन.-** नियम 8,9,10,11,12 और 13 के उपबंधों के अध्याधीन रहते हुए, नियुक्ति प्राधिकारी, नियम 29 के अधीन बोर्ड/भर्ती बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा तैयार की गयी सूची में से उन अभ्यर्थियों का, जो योग्यता क्रम में ऊपर हों, का चयन करेगा :

परन्तु किसी अभ्यर्थी का नाम सूची में सम्मिलित हो जाने मात्र से ही उसे नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का, चिकित्सा विभाग के परामर्श से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित किये जाने वाले चिकित्सा बोर्ड द्वारा चिकित्सा परीक्षा, पुलिस सत्यापन और ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे, के पश्चात यह समाधान न हो जाये कि ऐसा अभ्यर्थी संबंधित पद पर नियुक्ति के लिए अन्य सभी प्रकार से उपयुक्त है।

## भाग 5

## पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए प्रक्रिया

**33. पदोन्नति के लिए कसौटी, पात्रता और प्रक्रिया .-** (1) नियमित भर्ती के पश्चात अनुसूची-1 या, यथास्थिति, अनुसूची- 11 के स्तंभ संख्यांक 5 में प्रगणित पद धारण करने वाले व्यक्ति, उस वर्ष, जिसमें अर्हक परीक्षा आयोजित की जाती है, के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अनुसूची-1 या, यथास्थिति, अनुसूची- 11 के स्तंभ संख्यांक 6 में यथा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हता और अनुभव रखने के अध्यक्षीन रहते हुए, अनुसूची-1 या, यथास्थिति, अनुसूची- 11 के स्तंभ सं. 2 में विनिर्दिष्ट पदों पर पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। वरिष्ठता राज्य स्तर पर रखी जायेगी।

(2) किसी भी व्यक्ति की सेवा में प्रथम पदोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जायेगा जब तक कि वह उस पद पर, जिससे पदोन्नति की जानी हो, इन नियमों के उपबंधों के अधीन विहित भर्ती की किसी एक रीति के अनुसार नियमित रूप से चयनित न हुआ हो।

**स्पष्टीकरण:** यदि किसी वर्ष-विशेष में किसी पद (पदों) पर पदोन्नति द्वारा नियमित चयन के पूर्व सीधी भर्ती कर ली गयी हो तो ऐसे व्यक्तियों की पदोन्नति के लिए भी विचार किया जायेगा जो भर्ती की दोनों रीतियों से उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र हैं या थे और जो पहले सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

(3) रिक्तियों के अवधारण के पश्चात, रिक्तियों की संख्या के 10 गुना से अनधिक अभ्यर्थियों को, उनके वरिष्ठक्रम में, पदोन्नति बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

(4) ऐसे किसी भी व्यक्ति की पदोन्नति पर उस तारीख से, जिसको उसकी पदोन्नति देय हो जाती है, तीन भर्ती वर्षों तक विचार नहीं किया जायेगा, यदि उसके 1 जून, 2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतानें हों :

परन्तु -

- (i) दो से अधिक संतानों वाले व्यक्ति पदोन्नति के लिए तब तक निरहित नहीं समझे जायेंगे जब तक कि उनकी संतानों की उस संख्या में, जो 1 जून, 2002 को है, बढ़ोतरी नहीं होती है।
- (ii) जहां किसी सरकारी कर्मचारी के पूर्वतर प्रसव से एक ही संतान है, किन्तु पश्चात्पूर्वी किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती हैं वहां संतानों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुई संतानों को एक इकाई समझा जायेगा।



- (iii) अभ्यर्थी की कुल संतानों की गणना करते समय पूर्व प्रसव से पैदा हुए निःशक्त संतान की गणना नहीं की जायेगी ।
- (iv) ऐसा कोई अभ्यर्थी जिसने पुनःविवाह किया है जो किसी विधि के विरुद्ध नहीं है और वह ऐसे पुनःविवाह से पूर्व इस उप-नियम के अधीन नियुक्ति के लिए निरहित नहीं है तो उसे निरहित नहीं किया जायेगा यदि ऐसे पुनःविवाह से एकल प्रसव द्वारा किसी संतान का जन्म न हुआ हो।

34. **चयन की प्रक्रिया** .- (1) नियम 16 के अधीन पदोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों के अवधारण के पश्चात, नीचे उप-नियम (5) में यथा निर्दिष्ट पदोन्नति बोर्ड का गठन किया जायेगा। पदोन्नति बोर्ड, सेवा के उन वरिष्ठतम पात्र सदस्यों में से, जिन्होंने परेड, प्रायोगिक एवं अन्य बाह्य परीक्षण में 40% अंक और लिखित परीक्षा में 40% अंक सहित कुल मिलाकर 45% अंक प्राप्त करके, नियम 35 में विनिर्दिष्ट अर्हक परीक्षा का भाग-। उत्तीर्ण किया है, रिक्तियों की संख्या के 3 गुणा से अनधिक नाम अंतर्विष्ट करने वाली सही और पूर्ण सूची तैयार करेगा।

(2) इस नियम के अधीन गठित पदोन्नति बोर्ड, सूची में सम्मिलित समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगा, समस्त का साक्षात्कार लेगा और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर यथाविनिर्दिष्ट और नियम 16 के अधीन भरे जाने के लिए यथा अवधारित ऐसे पदों की संख्या के डेढ़ गुणा तक ऐसे उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम, जो नियम 35 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हक परीक्षा के भाग-। में 45% अंक और नियम 35 में यथाविनिर्दिष्ट अर्हक परीक्षा के भाग-। और ।। के कुल अंकों के योग का 50% प्राप्त करते हैं, वरिष्ठता क्रम में अन्तर्विष्ट करने वाली एक सूची तैयार करेंगे। पदोन्नति के लिए अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जायेगा कि :-

- (i) उन्होंने नियम 35 में यथा विनिर्दिष्ट अर्हक परीक्षा का भाग-। उत्तीर्ण कर लिया है।
- (ii) उनका पूर्व सेवाभिलेख (अच्छी और प्रतिकूल प्रविष्टियां)।
- (iii) सत्यनिष्ठा।
- (iv) बुद्धिमत्ता, चातुर्य और कार्यशक्ति।
- (v) तकनीकी और सामान्य ज्ञान।
- (vi) अनुभव और दक्षता।
- (vii) व्यक्तित्व और चरित्र।

(3) पदोन्नति बोर्ड सफल अभ्यर्थियों की उनके वरिष्ठताक्रम में एक सूची तैयार करेगा।

(4) पदोन्नति बोर्ड, उप-नियम (3) के अधीन तैयार की गयी सूची, नियुक्ति प्राधिकारी को पदोन्नति आदेश जारी करने के लिए प्रस्तुत करेगा।

(5) पदोन्नति बोर्ड का गठन.- नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूची-1 और अनुसूची-11 में उल्लिखित विभिन्न पदों पर पदोन्नति के लिए निम्नलिखित पदोन्नति बोर्डों का गठन करेगा,-

(i) अनुसूची-1 में उल्लिखित कम्पनी कमांडर के पद, अनुसूची-11 में उल्लिखित निरीक्षक (मो.प.) और निरीक्षक (आर्मरर) के पद पर पदोन्नति के लिए:-

(क) महासमादेष्टा, होम गार्ड/ अतिरिक्त महानिदेशक, होम गार्ड	अध्यक्ष
(ख) महानिरीक्षक, होम गार्ड/उप महासमादेष्टा, होम गार्ड	सदस्य
(ग) समादेष्टा	सदस्य-सचिव
(घ) सुसंगत क्षेत्र का एक तकनीकी विशेषज्ञ	सहयोजित सदस्य

**टिप्पण:** सदस्य, सदस्य-सचिव और सहयोजित सदस्य महासमादेष्टा, होम गार्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। बोर्ड में सुसंगत क्षेत्र का तकनीकी विशेषज्ञ अनुसूची-11 में उल्लिखित तकनीकी पदों के लिए ही लिया जायेगा।

(ii) अनुसूची-1 में उल्लिखित प्लाटून कमांडर के पद और अनुसूची-11 में उल्लिखित उपनिरीक्षक (मो.प.) और उपनिरीक्षक (आर्मरर) के पद पर पदोन्नति के लिए:-

(i) अतिरिक्त महानिदेशक, होम गार्ड /महानिरीक्षक, होमगार्ड/उप महासमादेष्टा, होम गार्ड	अध्यक्ष
(ii) समादेष्टा	सदस्य
(iii) उप-समादेष्टा	सदस्य-सचिव
(iv) सुसंगत क्षेत्र का एक तकनीकी विशेषज्ञ	सहयोजित सदस्य

**टिप्पण:** सदस्य, सदस्य-सचिव और सहयोजित सदस्य महासमादेष्टा, होम गार्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। बोर्ड में सुसंगत क्षेत्र का तकनीकी विशेषज्ञ अनुसूची-11 में उल्लिखित तकनीकी पदों के लिए ही लिया जायेगा।

(iii) अनुसूची-1 में हैड कांस्टेबल के पद और अनुसूची-11 में उल्लिखित हैड कांस्टेबल (मो.प.) के पद पदोन्नति के लिए :-

(क) महानिरीक्षक/उप महासमादेष्टा, होम गार्ड	अध्यक्ष
(ख) समादेष्टा	सदस्य
(ग) उप समादेष्टा	सदस्य-सचिव
(घ) सुसंगत क्षेत्र का एक तकनीकी विशेषज्ञ	सहयोजित सदस्य

टिप्पण: पदोन्नति बोर्ड का सदस्य, सदस्य-सचिव और सहयोजित सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे। पदोन्नति बोर्ड में सुसंगत क्षेत्र का तकनीकी विशेषज्ञ अनुसूची-11 में उल्लिखित तकनीकी पदों के लिए ही लिया जायेगा।

**35. पदोन्नति के लिए अर्हक परीक्षा .-** (1) पदोन्नति के लिए अर्हक परीक्षा से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है -

भाग-1 : लिखित, प्रायोगिक-परेड और अन्य बाह्य (आउटडोर) परीक्षण।

भाग-11 : साक्षात्कार और वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन सहित सेवाभिलेख का परीक्षण।

(2) भाग-1 और भाग-11 परीक्षा के लिए पाठ्य विवरण और कुल अंक तथा भाग-11 के संबंध में सामान्य अनुदेश महासमादेष्टा, होम गार्ड द्वारा समय-समय पर अवधारित और जारी किये जायेंगे।

**36. पदोन्नति .-** नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदोन्नति, नियम 34 के अधीन अन्तिम रूप से अनुमोदित सूचियों में से व्यक्तियों को उसी योग्यताक्रम में लेते हुए की जायेगी जिस क्रम में उन्हें सूचियों में रखा गया है जब तक कि ऐसी सूचियां निःशेष न हो जायें या पुनर्विलोकित, पुनरीक्षित न की जायें या, यथास्थिति, प्रवृत्त न रहें।

**37. पदोन्नतियां छोड़ देने वाले व्यक्तियों की पदोन्नति पर निर्बंधन .-** यदि कोई व्यक्ति अगले उच्चतर पद (पदों) पर अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या पदोन्नति बोर्ड की सिफारिश पर, नियमित आधार पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त होने पर अपने लिखित अनुरोध द्वारा ऐसी नियुक्ति छोड़ देता है, और यदि संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी उसके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है तो संबंधित व्यक्ति को, पश्चातवर्ती दो भर्ती वर्षों के लिए, जिनके लिए विभागीय पदोन्नति बोर्ड की बैठक होती है, पदोन्नति हेतु (अर्जेंट अस्थायी नियुक्ति के आधार पर या नियमित आधार पर, दोनों ही मामलों में) विचार करने के लिए विवर्जित किया जायेगा और ऐसे व्यक्ति का नाम, जो पदोन्नति छोड़ देता है, पश्चातवर्ती दो भर्ती वर्षों की पदोन्नति बोर्ड के समक्ष रखी जाने वाली वरिष्ठता-एवं-पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

**38. अभ्यावेदनों और निर्देशों का निपटारा.-** (1) यदि किसी भी समय, किसी भी सेवा के सदस्य द्वारा या किसी भी पदोन्नति बोर्ड द्वारा या किसी भी अधीनस्थ कार्यालय द्वारा इन नियमों के अधीन संचालित पदोन्नति परीक्षा या सूची के तैयार किये जाने या चयन या किसी अन्य परीक्षा के संबंध में कोई अभ्यावेदन या निर्देश किया जाता है तो उस पर नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश अंतिम होंगे और सरकार को इस प्रकार विनिश्चय किये गये बिन्दु पर सामान्यतः कोई अपील या निर्देश नहीं होगा।

(2) यदि सूचना की प्राप्ति पर या किसी जांच के आधार पर, नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि पदोन्नति बोर्ड की कार्यवाहियां इन नियमों के उपबंधों के अनुसार उचित और न्यायसंगत रीति से संचालित नहीं की गयी हैं, तो वह ऐसे पदोन्नति बोर्ड की कार्यवाहियों को अपास्त कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए नये पदोन्नति बोर्ड का गठन कर सकेगा।

(3) सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, पदोन्नति बोर्ड की पूर्व में आयोजित कार्यवाहियों के, अभिलेख पर प्रत्यक्ष किसी भूल या त्रुटि के कारण या पदोन्नति बोर्ड के विनिश्चय को सारभूत रूप से प्रभावित करने वाली किसी तथ्यात्मक त्रुटि के कारण या किसी अन्य पर्याप्त कारणों के लिए उदाहरणार्थ वरिष्ठता में परिवर्तन, रिक्तियों का गलत अवधारण, किसी न्यायालय या अधिकरण के निर्णय/निदेश या जहां किसी व्यक्ति के गोपनीय प्रतिवेदन में से प्रतिकूल प्रविष्टियां निकाली या हटायी जाती हैं या उस पर अधिरोपित कोई दंड अपास्त या कम कर दिया जाता है, पुनर्विलोकन के लिए आदेश दे सकेगा। पदोन्नति बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकन पदोन्नति के लिए बैठक करने से पूर्व कार्मिक विभाग की सहमति सदैव प्राप्त की जायेगी।

## भाग 6

### नियुक्ति, परिवीक्षा और स्थायीकरण

39. **सेवा में नियुक्ति** .- (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्तियां, सेवा संवर्ग में अधिष्ठायी रिक्तियाँ होने पर, नियम 29 के अधीन भर्ती बोर्ड/यथास्थिति/ बोर्ड द्वारा तैयार की गयी सूची या, यथास्थिति, नियम 34 के अधीन पदोन्नति बोर्ड द्वारा तैयार की गयी सूची में से व्यक्तियों के चयन द्वारा की जायेगी।

40. **वरिष्ठता**.- सेवा में संवर्गित पद पर नियुक्त व्यक्तियों की वरिष्ठता, इन नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित चयन के पश्चात पद पर नियुक्ति की तारीख से अवधारित की जायेगी। तदर्थ या अर्जेंट अस्थायी आधार पर नियुक्ति, नियमित चयन के पश्चात की नियुक्ति नहीं समझी जायेगी :

परन्तु -

- (i) किसी प्रवर्ग-विशेष में किसी पद पर सीधी भर्ती द्वारा एक ही चयन के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता, ऐसे व्यक्तियों को छोड़कर जिनसे पद पर नियुक्ति का प्रस्ताव किया गया हो किन्तु जिन्होंने आदेश जारी होने की तारीख से छह सप्ताह की कालावधि के भीतर या यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कालावधि बढ़ायी गयी हो तो उस बढ़ायी हुई कालावधि के

भीतर सेवा ग्रहण न की हो, उसी क्रम में रहेगी, जिस क्रम में उनके नाम नियम 29 के अधीन तैयार की गयी सूची में रखे गये हैं।

- (ii) यदि एक ही वर्ष के दौरान सेवा में दो या अधिक व्यक्ति नियुक्त किये जायें, तो पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरिष्ठ होगा।
- (iii) ऐसे चयन के परिणामस्वरूप, जो पुनर्विलोकन व पुनरीक्षण के अधीन न हो, चयनित और नियुक्त व्यक्ति, उस व्यक्ति/उन व्यक्तियों से वरिष्ठ होंगे, जो पश्चातवर्ती चयन के परिणामस्वरूप चयनित और नियुक्त किया /किये जाते हैं।
- (iv) किसी अनुभाग विशेष में के किसी पद पर पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की पारस्परिक वरिष्ठता वही होगी जो उनकी ठीक निम्नतर की ग्रेड में है।

**स्पष्टीकरण :** अधिष्ठायी नियुक्ति के वर्ष से, उन व्यक्तियों के मामले में, जिन्हें पदोन्नति परीक्षा के पूर्ण होने के पश्चात पदोन्नत किया जाता है, रिक्तियों का वह वर्ष अभिप्रेत है जिसके प्रति पदोन्नति की गयी थी।

- (v) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पारिणामिक वरिष्ठता के साथ आरक्षण तब तक जारी रहेगा जब तक कि रोस्टर बिन्दू निःशेष हो जाये और पदोन्नति की पर्याप्तता प्राप्त हो जाये। एक बार रोस्टर बिन्दू पूर्ण हो जायें तो तत्पश्चात पदोन्नति में प्रतिस्थापन के सिद्धांत का प्रयोग किया जायेगा जहां कहीं भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए चिन्हित रिक्तियां आयें।

**स्पष्टीकरण:** 'पर्याप्त प्रतिनिधित्व' से रोस्टर बिन्दू के अनुसार अनुसूचित जातियों का 16 प्रतिशत प्रतिनिधित्व और अनुसूचित जन जातियों का 12 प्रतिशत प्रतिनिधित्व अभिप्रेत है।

**41. परिवीक्षा की कालावधि.-** (1) किसी स्पष्ट रिक्ति के प्रति सीधी भर्ती द्वारा सेवा में प्रवेश करने वाले व्यक्ति को 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा:

परन्तु ऐसी नियुक्ति के पश्चात की वह कालावधि, जिसमें किसी व्यक्ति को तत्समान या उच्चतर पद पर प्रतिनियुक्ति पर रखा गया हो, परिवीक्षाकाल में गिनी जायेगी।

(2) उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट परिवीक्षा की कालावधि के दौरान प्रत्येक परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की, जो सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, अपेक्षा की जा सकेगी।

**42. परिवीक्षाधीन का प्रतिवर्तन.-** इन नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा छह मास की कालावधि के भीतर स्थायीकरण का कोई आदेश जारी नहीं

किया गया है, तो एक ही नियुक्ति प्राधिकारी के अधीन किसी पद या किसी उच्चतर पद पर अस्थायी स्थानापन्न आधार पर नियुक्त कोई कर्मचारी, जिसने भर्ती की रीतियों में से किसी एक रीति द्वारा उसकी नियमित भर्ती की तारीख के पश्चात् दो वर्ष की सेवा की कालावधि या पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों के मामले में जहां परीक्षा की विहित कालावधि कम हो उस कम कालावधि को पूर्ण कर लिया है या इस प्रकार कार्य करता यदि वह प्रतिनियुक्ति या प्रशिक्षण पर नहीं होता, स्थायी रिक्तियां होने पर यदि नियमों के अधीन विहित शर्तें समान हों अपनी वरिष्ठता के अनुसार स्थायी माने जाने का हकदार होगा। यदि सेवा का कोई सदस्य परीक्षा की कालावधि के दौरान संतोषप्रद प्रमाण देने में विफल रहता है और उसे सेवा में स्थायी नहीं किया गया है तो उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जायेगा जिस पर उसका धारणाधिकार है।

**43. परीक्षा के दौरान असंतोषप्रद प्रगति.-** यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परीक्षा की कालावधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर, किसी भी समय, यह प्रतीत हो कि किसी परीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी की सेवाएं संतोषजनक नहीं हैं तो नियुक्ति प्राधिकारी उसे उस पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा जिस पर उसका, परीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के रूप में उसकी नियुक्ति के ठीक पूर्व, नियमित रूप से चयन किया गया था या अन्य मामलों में उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा या उसकी सेवा समाप्त कर सकेगा। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अंतिम आदेश पारित करने से पूर्व परीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी को समुचित अवसर प्रदान करेगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी मामले में या मामलों के किसी वर्ग में, यदि उचित समझे तो किसी परीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थी के परीक्षाकाल को ऐसी विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक वर्ष से अनधिक हो सकेगी।

**44. स्थायीकरण, परीक्षा का विस्तार और सेवोन्मुक्ति .-** (1) सेवा का कोई सदस्य जो अपना परीक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा यथा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करता है, वह परीक्षाकाल की समाप्ति पर स्थायीकरण के लिए पात्र होगा बशर्ते कि नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाये कि उसकी सत्यनिष्ठता शंकास्पद नहीं है और यह कि वह स्थायीकरण के लिए अन्यथा उपयुक्त है।

**स्पष्टीकरण :**

- (i) यदि दो वर्ष की कालावधि की समाप्ति के पश्चात् भी किन्हीं अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विभागीय परीक्षा आयोजित नहीं की जा सकी हो तो अभ्यर्थी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् उस तारीख से, जिसको उसने परीक्षाकाल पूर्ण किया था, स्थायीकरण का दायी हो जायेगा।
- (ii) यदि कोई परीक्षाधीन व्यक्ति विहित परीक्षा को दो अवसरों में उत्तीर्ण करने में विफल रहे तो वह ऐसे पद से मुक्त किये जाने के लिए उसी रीति से दायी होगा जिस प्रकार किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को निम्नतर पद, यदि कोई हो, जिस पर वह धारणाधिकार रखता है, प्रतिवर्तित किया जाता है :

परन्तु किसी भी व्यक्ति को सेवा की उक्त कालावधि के पश्चात्स्थायीकरण से विवर्जित नहीं किया जायेगा यदि उसके कार्य के संतोषप्रद संपादन के बारे में प्रतिकूल कोई कारण उसे उक्त कालावधि के भीतर संसूचित न किये गये हों।

(2) जहां किसी अभ्यर्थी ने परिवीक्षाकाल के दौरान संतोषप्रद रूप से कार्य नहीं किया है या विहित परीक्षा में प्रथम अवसर के दौरान विफल रहा है तो नियुक्ति प्राधिकारी या नियुक्ति प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा उसके परिवीक्षाकाल को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा :

परन्तु नियुक्ति प्राधिकारी, यदि वह ऐसा ठीक समझे, तो अनुसूचित जातियों या, यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों के मामले में परिवीक्षाकाल को 3 वर्ष से अनधिक की कालावधि तक बढ़ा सकेगा।

(3) जहां किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को निलंबनाधीन रखा गया है या उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाहियां अनुध्यात हैं या आरम्भ की जा चुकी हैं तो उसका परिवीक्षाकाल ऐसे समय तक बढ़ाया गया समझा जायेगा जब तक विभागीय कार्यवाहियों को अन्तिम रूप नहीं दिया जाये।

(4) उपरोक्त उप-नियम (1) के स्पष्टीकरण के अधीन परिवीक्षाकाल के दौरान या उसकी समाप्ति पर सेवा से प्रतिवर्तित या सेवोन्मुक्त कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति किसी भी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

## भाग 7

### वेतन

45. **ग्रेड वेतन.**- सेवा में के किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति का वेतन(पे मैट्रिक्स में लेवल या समय-समय पर यथा संशोधित) ऐसा होगा जो नियम 47 में निर्दिष्ट नियम के अधीन मंजूर किया जाये या जो सरकार द्वारा समय-समय पर मंजूर किया जाये।

46. **परिवीक्षा के दौरान वेतन.**- सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिवीक्षाधीन- प्रशिक्षणार्थी को परिवीक्षा की कालावधि के दौरान, सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दरों पर मासिक नियत पारिश्रमिक संदत्त किया जायेगा :

परन्तु सरकारी सेवा में भर्ती नियमों के उपबंधों के अनुसार नियमित रूप से चयनित कर्मचारी को, परिवीक्षाधीन-प्रशिक्षणार्थियों के रूप में सेवा के दौरान वर्तमान पद के उसके स्वयं के वेतन लेवल में परिलब्धियाँ या नये पद का नियत पारिश्रमिक, जो भी उसके लिए लाभप्रद हो, अनुज्ञात किया जा सकेगा।

47. **वेतन, छुट्टी, भत्ते, पेंशन, अंशदाय पेंशन आदि का विनियमन.**- इन नियमों में यथा-उपबंधित के सिवाय, सेवा के सदस्य का वेतन, भत्ते, पेंशन, अंशदाय पेंशन, छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित द्वारा विनियमित होंगी,-

- (1) राजस्थान सेवा नियम, 1951, समय-समय पर यथासंशोधित ;
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958, समय-समय पर यथासंशोधित ;

- (3) राजस्थान यात्रा भत्ता नियम, 1971, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (4) राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (5) राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (6) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 1998, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (7) राजस्थान सिविल सेवा (अंशदायी पेंशन) नियम, 2005, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (8) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008, समय-समय पर यथासंशोधित;
- (9) राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017, समय-समय पर यथासंशोधित; और
- (10) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन समुचित प्राधिकारी द्वारा बनाये गये और तत्समय प्रवृत्त कोई भी अन्य नियम जो सेवा की सामान्य शर्तें विहित करते हों।

48. **शंकाओं का निराकरण.-** यदि इन नियमों के लागू होने, उनके निर्वचन और उनकी व्याप्ति के बारे में कोई शंका उत्पन्न हो तो मामला सरकार के कार्मिक विभाग को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा ।

49. **निरसन और व्यावृत्ति.-** इन नियमों के अंतर्गत आने वाले मामलों से संबंधित और इन नियमों के प्रारंभ से ठीक पूर्व प्रवर्तित समस्त नियम और आदेश इसके द्वारा निरसित किये जाते हैं :

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों और आदेशों के अधीन की गयी कोई भी कार्रवाई इन नियमों के उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

50. **नियमों के शिथिलीकरण की शक्ति.-** अपवाद सापेक्ष मामलों में जहां सरकार के प्रशासनिक विभाग को यह समाधान हो जाये कि भर्ती के लिए आयु के बारे में या अनुभव की आवश्यकता के संबंध में, किसी विशिष्ट मामले में नियमों के प्रवर्तन से अनावश्यक कठिनाई होती है या जहां सरकार की यह राय हो कि किसी व्यक्ति की आयु या अनुभव के संबंध में इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को शिथिल करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह कार्मिक विभाग की सहमति से आदेश प्रसारित करके इन नियमों के सुसंगत उपबन्धों से, ऐसी सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो किसी मामले को न्यायोचित एवं साम्यापूर्ण रीति से निपटाने के लिए आवश्यक माने जायें, अभिमुक्त या शिथिल कर सकेगी :

परन्तु ऐसा शिथिलीकरण इन नियमों में पहले से ही अन्तर्विष्ट उपबन्धों से कम अनुकूल नहीं होगा :



परन्तु यह और कि इस नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि या अनुभव में शिथिलीकरण, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पूर्व किसी पद पर पदोन्नति के लिए विहित सेवा या अनुभव की केवल एक तिहाई कालावधि की सीमा तक ही मंजूर किया जायेगा :

परन्तु यह और भी कि जहां किसी पद पर पदोन्नति के लिए अनुभव की विहित कालावधि 6 वर्ष से कम है वहां प्रमुख सचिव, वित्त, कार्मिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव, और प्रशासनिक विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव से गठित व मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति उन मामलों पर जहां 45 प्रतिशत या उससे अधिक पद रिक्त हैं, विचार कर सकेगी। समिति अनुभव में शिथिलीकरण की मात्रा पर सूझाव देने के लिए सशक्त होगी जो ऐसे मामलों में, पदोन्नति वाले पदों की रिक्तियों की बड़ी संख्या पर ध्यान देने के लिए, इस शर्त के अधीन कि अनुभव में ऐसा शिथिलीकरण दो वर्ष से अधिक का नहीं होगा, दिया जा सकेगा।

### अनुसूची-1

#### होम गार्ड (शहरी, ग्रामीण और बॉर्डर) अनुभाग

क्र . स .	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	कम्पनी कमांडर	100% पदोन्नति द्वारा	-	प्लाटून कमांडर	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-
2.	प्लाटून कमांडर	50% सीधी भर्ती द्वारा और 50% पदोन्नति द्वारा	भारत में विधि द्वारा किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अर्हता या नायब सूबेदार या	हैड कांस्टेबल	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या यदि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके	-

			उससे ऊपर की रैंक का सम्यकरूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक।		समतुल्य हो तो स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	
3.	हैड कांस्टेबल	100% पदोन्नति द्वारा	-	कांस्टेबल/ कांस्टेबल ( बिगुलची / ड्रममैन)	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या यदि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वाविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य हो तो स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	
4.	कांस्टेबल	100% सीधी भर्ती द्वारा	1. किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/ बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण या 2. सम्यकरूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक।	-	-	-
5.	कांस्टेबल (बिगुलची /ड्रममैन)	100% सीधी भर्ती द्वारा	1. किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/ बोर्ड से आठवीं	-	-	-

			कक्षा उत्तीर्ण या 2. सम्यक् रूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक और बिगुल/ ड्रम बजाने का अनुभव।			
--	--	--	---	--	--	--

**स्पष्टीकरण :**

1. कम्पनी कमांडर में, राजस्थान बार्डर होम गार्ड/केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान का कम्पनी कमांडर, स्टाफ अधिकारी, या समतुल्य वेतन (पे मैट्रिक्स में लेवल) वाला कोई अन्य पद, जो संवर्ग में सृजित किया जाये, जिसे इन पदों के समतुल्य और इनके साथ अन्तर-स्थानांतरणीय समझा जायेगा, सम्मिलित है किन्तु इसमें अनुसूची-11 में उल्लिखित तकनीकी पद सम्मिलित नहीं होंगे।
2. प्लाटून कमांडर में, प्लाटून कमांडर या समतुल्य वेतन (पे मैट्रिक्स में लेवल) वाला कोई अन्य पद, जो संवर्ग में सृजित किया जाये, जिसे इन पदों के समतुल्य और इनके साथ अन्तर-स्थानांतरणीय समझा जायेगा, सम्मिलित है किन्तु इसमें अनुसूची-11 में उल्लिखित तकनीकी पद सम्मिलित नहीं होंगे।

अनुसूची-11

होम गार्ड

(तकनीकी पद)

क्र. स.	पद का नाम	भर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	निरीक्षक (मो.प.)	100% पदोन्नति	-	उपनिरीक्षक (मो.प.)	भारत में विधि द्वारा	-

		द्वारा			स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अर्हता साथ में स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	
2.	उपनिरीक्षक (मो.प.)	50% पदोन्नति द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य अर्हता और आई.टी. आई(मोटर एवं डीजल मैकेनिक) से डिप्लोमा साथ में शिक्षु के रूप में एक वर्ष का अनुभव।	हैड कांस्टेबल (मो.प.)	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव  या यदि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक  या उसके समतुल्य हो तो स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	-

3.	हैड कांस्टेबल (मो.प.)	100% पदोन्नति द्वारा	-	कांस्टेबल (ड्राइवर)	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या यदि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य हो तो स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	-
4.	निरीक्षक (आर्मरर)	100% पदोन्नति द्वारा	-	उपनिरीक्षक (आर्मरर)	स्नातक साथ में स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव।	-
5.	उपनिरीक्षक (आर्मरर)	50% पदोन्नति द्वारा और 50% सीधी भर्ती द्वारा	थल सेना/नौ सेना/वायुसेना से सम्यक् रूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व नायब सूबेदार या समतुल्य रैंक साथ में आर्मरर प्रशिक्षण और	हैड कांस्टेबल (आर्मरर)	स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 5 वर्ष का अनुभव या यदि भारत में विधि द्वारा स्थापित	-

			अनुभव।		किसी विश्वविद्यालय से स्नातक या उसके समतुल्य हो तो स्तंभ 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	
6.	हैड कांस्टेबल (आर्मरर)	100% सीधी भर्ती द्वारा	थल सेना/नौ सेना/वायु सेना से सम्यकरूप से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व हवलदार या समतुल्य रैंक।	-	-	-
7.	कांस्टेबल (ड्राइवर)	100% सीधी भर्ती द्वारा	1. किसी मान्यताप्राप्त विद्यालय/ बोर्ड से आठवीं कक्षा उत्तीर्ण साथ में भारी या हल्के मोटर यानों का ड्राइविंग लाइसेंस तथा ड्राइवर के रूप में 3 वर्ष का अनुभव और चश्में सहित या बिना चश्मे की दृष्टि 6×6 या 2. सम्यकरूप			

			से सेवोन्मुक्त भूतपूर्व सैनिक साथ में भारी या हल्के मोटर यानों का ड्राइविंग लाईसेंस, प्राथमिक रूप से ड्राइवर व्यवसाय का।			
--	--	--	---	--	--	--

### अनुसूची-III

प्लाटून कमांडर, उपनिरीक्षक (मो.प.) और उपनिरीक्षक (आर्मरर) के पद की लिखित परीक्षा के लिए  
स्कीम

अनुसूची-I में उल्लिखित प्लाटून कमांडर और अनुसूची-II में उल्लिखित उपनिरीक्षक (मो.प.) तथा उपनिरीक्षक (आर्मरर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए लिखित परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जायेगी। परीक्षा में निम्नलिखित प्रश्नपत्र अन्तर्विष्ट होंगे:-

प्रश्नपत्र	विषय	अवधि	अधिकतम अंक
प्रश्नपत्र - I	सामान्य हिन्दी	3 घंटे	200
प्रश्नपत्र - II	सामान्य ज्ञान तथा सामान्य विज्ञान	3 घंटे	200

[सं. एफ. 2(5)डीओपी./ए-II /2021]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

जय सिंह,

संयुक्त शासन सचिव।

### DEPARTMENT OF PERSONNEL

#### A-Gr.-II

#### NOTIFICATION

Jaipur, April 19, 2021

**S.O.560** .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules, regulating the recruitment to posts in and the conditions of service of persons appointed to the Rajasthan Home Guards Subordinate Service, namely: -

## THE RAJASTHAN HOME GUARDS SUBORDINATE SERVICE RULES, 2021

### PART – I

#### GENERAL

**1. Short title, commencement and application.-** (1) These rules may be called the Rajasthan Home Guards Subordinate Service Rules, 2021.

(2) They shall come into force from the date of their publication in Official Gazette.

(3) These rules shall not apply to the posts governed by the Rajasthan Scheduled Areas Subordinate, Ministerial and Class-IV Service (Recruitment and other Service Conditions) Rules, 2014, except as provided in those rules.

**2. Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) **“Appointing Authority”** means the Commandant General Home Guards Rajasthan and includes in relation to any post in the service, such other officer or authority who may with the approval of the Government be specially empowered by the Commandant General Home Guards to exercise the powers and functions of the appointing authority;
- (b) **“Additional Director General” or “ADG”** means Additional Director General Home Guards and includes Additional Director General of Police when posted in Home Guards Department;
- (c) **“Board”** means the Rajasthan Staff Selection Board;
- (d) **“Commandant”** means Commandant of Home Guard Training Centre, Battalion Commandant Border Home Guards, and Senior Staff Officer of Home Guards Headquarters, Rajasthan;
- (e) **“Commandant General, Home Guards” or “CGHG”** means Commandant General, Home Guards and includes Additional Commandant General Home Guards working as the Head of Department;
- (f) **“Department”** means Home Guards Department and includes such other units as may be specified by the Government from time to time;
- (g) **“Deputy Commandant”** means and includes Deputy Commandant, Home Guards/Battalion Second-in-Command in Border Home Guards / Junior Staff Officer in Home Guards HQs, Rajasthan;
- (h) **“Deputy Commandant General Home Guards or “DCGHG”**, means Deputy Commandant General Home Guards and Director Central Training Institute;
- (i) **“Direct Recruitment”** means recruitment made according to the procedure laid down in Part-IV of these rules;
- (j) **“District”** means District of the State or any unit or group of units which are declared, for the purpose of these rules, equivalent to a District by the Commandant General Home Guards, with the approval of the Government;
- (k) **“Government”** means the Government of Rajasthan;
- (l) **“Inspector General” or “IG”** means Inspector General of Home Guards and includes Inspector General of Police when posted in Home Guards Department;
- (m) **“Member of the Service”** means a person appointed to a post in the service on the basis of regular selection under the provisions of these rules or the rules or order superseded by these rules;



- (n) **“Promotion Board”** means Promotion Board as constituted by the Commandant General, Home Guards under rule 34;
- (o) **“Recruitment Board”** means the Board constituted under the relevant rules and a Board of Examination as constituted by the Commandant General Home Guards under these rules;
- (p) **“Schedule”** means the schedule appended to these rules;
- (q) **“Service”** means the Rajasthan Home Guards Subordinate Service;
- (r) **“Service”** or **“Experience”** wherever prescribed in these rules as a condition for promotion from one service to another or within the service from one category to another or to senior post(s) in the case of a person holding a lower post(s) eligible for promotion to higher post(s) shall include the period for which the person has continuously worked on such lower post(s) after regular selection in accordance with the rules promulgated under proviso to Article 309 of the Constitution of India;

**Note:** Absence during service, e.g., training, leave and deputation, etc., which are treated as “duty” under the Rajasthan Service Rules, 1951, shall also be counted as service for computing experience or service required for promotion;

- (s) **“State”** means the State of Rajasthan;
- (t) **“Substantive Appointment”** means an appointment made under the provisions of these rules to a substantive vacancy after due selection by any of the methods of recruitment prescribed under these rules and includes an appointment on probation or as a probationer trainee followed by confirmation on the completion of the probationary period;
- Note:** Due selection by any of the methods of recruitment prescribed under these rules shall include recruitment either on initial constitution of service or in accordance with the provisions of any rules promulgated under the provision to Article 309 of the Constitution of India, except an urgent temporary appointment; and
- (u) **“Year”** means financial year.

**3. Interpretation.-** Unless the context otherwise requires, the Rajasthan General Clauses Act, 1955 (Act No. VIII of 1955) shall apply for the interpretation of these rules, as it applies for the interpretation of a Rajasthan Act.

## PART - II CADRE

**4. Composition and strength of the Service.-** (1) The nature of post(s) included in the service shall be as specified in column number 2 of Schedule-I and Schedule-II, as the case may be.

(2) The strength of post(s) in the service shall be such as may be determined by the Government, from time to time:

Provided that the Government may,-

- (a) create any post(s) permanent or temporary, from time to time, as may be found necessary and may abolish any such post(s) in the like manner

without thereby entitling any person to any compensation; and

- (b) leave unfilled or hold in abeyance or allow to lapse any post(s) permanent or temporary, from time to time, without thereby entitling any person to any compensation.

**5. Initial Constitution of the Service.-** The Service shall consist of,-

- (a) all persons holding substantively the post(s) specified in the Schedule-I and Schedule-II on the date of commencement of these rules;
- (b) all persons recruited to the post(s) in the service before commencement of these rules; and
- (c) all persons recruited to the service in accordance with the provisions of these rules except those appointed on urgent temporary basis.

### **PART – III RECRUITMENT**

**6. Methods of Recruitment.-** (1) Recruitment to the post(s) in the service after commencement of these rules shall be made by the following methods in the proportion as indicated in column 3 of the Schedule-I or Schedule-II, as the case may be,-

- (i) by direct recruitment in accordance with the procedure laid down in Part-IV of these rules;
- (ii) by promotion in accordance with the procedure laid down in Part-V of these rules.
- (2) Recruitment to the service by the aforesaid methods shall be made in such a manner that the person appointed to the service by each method do not at any time exceed the percentage laid down in the rules/Schedule of the total cadre strength as sanctioned for each category, from time to time:

Provided that if the Appointing Authority is satisfied that suitable persons are not available for appointment by either method of recruitment in a particular year, appointment by the other method in relaxation of the prescribed proportion may be made in the same manner as specified in these rules.

(3) Notwithstanding anything contained in these rules recruitment, promotion, seniority and confirmation etc. of a person who joins the Army/Air Force/Navy during an Emergency shall be regulated by such orders and instructions as may be issued by the Government, from time to time, provided that these are regulated mutatis mutandis according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

**7. Compassionate appointment of dependents of the deceased/permanently incapacitated armed forces service personnel/para-military personnel.-** (1) Notwithstanding anything contained in these rules the Appointing Authority may fill the vacancies of the,-

- (i) posts upto Level in Pay Matrix L-9, as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground one of the dependents of a member of Armed Forces/Para Military Forces belonging to the State who becomes permanently incapacitated on or after 01.04.1999 in any

defence operations including counter insurgency operations and operations against terrorists;

- (ii) posts upto Level in Pay Matrix L-10, as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground, one of the dependents of a member of Armed Forces/Para Military Forces belonging to the State who dies on or after 01.04.1999 in any defence operations including counter-insurgency operations and operations against terrorists;
- (iii) posts upto Level in Pay Matrix L-9, as amended from time to time, to be filled in by direct recruitment by appointing on compassionate ground, one of the dependent of a member of Armed Forces belonging to the State, who died or was permanently incapacitated in war or any defence operations including counter insurgency operations and operations against terrorists during the period from 1.1.1971 to 31.3.1999;

Subject to fulfilment of educational qualifications and other service conditions prescribed under the relevant service rules and with the concurrence of Department of Personnel:

Provided that,-

- (i) if the Armed Forces/Para Military personnel who are permanently incapacitated are capable of and desirous of obtaining employment for themselves under the State Government, employment shall be given to them.
- (ii) if the widow or the children of the Armed Forces/Para Military personnel who are killed or permanently incapacitated are not in a position to take up employment immediately, employment will be given to them on acquiring of eligibility for appointment.

(2) Appointment shall be given to a dependent of Armed Forces/Para Military Personnel only if any of them has not got appointment on any post under the provisions of concerned service rules prevailing in the Government of India.

(3) Appointment shall not be given to such dependent if any of the other dependents of the Armed Forces/Para Military Personnel is already employed on regular basis under the Central/any State Government or Statutory Board Organisation/Corporation owned or controlled wholly or partially by the Central/any State Government at the time of death of the Armed Forces/Para Military Personnel:

Provided that this condition shall not apply where the widow seeks employment for herself.

(4) Such dependents shall address an application for the purpose to the Zila Sainik Kalyan Adhikari in the case of Armed Forces and the Officer Commanding the Para Military Unit for Para Military Forces duly verified by the Head of the Unit where the deceased/permanently incapacitated member of the Armed Forces/Para Military Forces was serving at the time of death/becoming permanently incapacitated. The application shall be considered in relaxation of the normal recruitment rules subject to the condition that the dependent fulfills the academic qualification and experience except for appointment to Class-IV for which educational qualification shall be relaxed and age limit prescribed for the post and is also otherwise qualified for Government Service.

(5) The application of such dependent shall be forwarded to the District Collector concerned for suitable appointment according to the qualifications possessed by the dependent. In the event of non-availability of vacancy in the District concerned application shall be sent to the

Divisional Commissioner who shall arrange appointment in any District under his jurisdiction. If vacant post is not available under the jurisdiction of the Divisional Commissioner then the application shall be referred by the Divisional Commissioner to Government in the Department of Personnel for providing appointment.

(6) The application shall contain the following information:-

- (i) Name and designation of the deceased/permanently incapacitated Armed Force/Para Military Force personnel;
- (ii) Unit in which he/she was working prior to death/becoming permanently incapacitated;
- (iii) Date and place of death with death certificate issued by the Authority competent to declare a battle casualty or becoming permanently incapacitated; and
- (iv) Name, date of birth, educational qualification of the applicant and his/her relation with the deceased (with certificates).

**Explanation:** For purpose of this rule:-

(i) "Armed Force" means the Army, Navy and Air Force of the Union;

(ii) "Dependent" means the spouse of the deceased/permanently incapacitated person, son/adopted son, unmarried daughter/ unmarried adopted daughter who were wholly dependent on deceased/permanently incapacitated Armed Force Service personnel/Para Military Personnel.

**Note:** Adopted son/daughter means legally adopted son/daughter by the deceased/permanently incapacitated person during his/her life;

(iii) "Para Military Forces" means Border Security Force, Central Reserve Police Force, Indo Tibetan Border Police and any other Para Military Force as may be notified by the Central and State Government, from time to time; and

(iv) "Permanently incapacitated" means a person who is covered under the definition of the term "person with disabilities" as provided in the Rights of the Persons with Disabilities Act, 2016 (Central Act No. 49 of 2016).

### **8. Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.-**

(1) Reservation of vacancies for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be in accordance with the provision of law in force at the time of recruitment i.e. by direct recruitment and by promotion.

(2) The vacancies so reserved for promotion shall be filled in by seniority-cum-merit and merit.

(3) In filling the vacancies so reserved the eligible candidates who are members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list prepared for direct recruitment by the Board/Recruitment Board/Appointing Authority, as the case may be and the Promotion Board constituted under Part-V of these rules, in the case of promotees irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(4) Appointments shall be made strictly in accordance with the roster prescribed separately for direct recruitment and promotion.

(5) In the event of non-availability of the eligible and suitable candidates amongst the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, for direct recruitment, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forward to the subsequent three recruitment years. After the expiry of three recruitment years, such carried forward vacancies shall be filled in accordance with the normal procedure:

Provided that,-

- (i) if recruitment is not held in any recruitment year, such recruitment year shall not be counted for the purpose of this sub-rule.
- (ii) filling up of the vacancies in accordance with the normal procedure under this sub-rule shall not affect the reservation of posts as per the post based roster and vacancies on the reserved posts available in the roster may be filled in from amongst the persons belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, for which such vacancy is available in subsequent years.

(6) In the event of non availability of the eligible and suitable candidates for promotion amongst the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be, in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be carried forwarded until the suitable Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidate(s), as the case may be, are available. In any circumstances no vacancy reserved for Scheduled Castes and the Scheduled Tribes candidates shall be filled by promotion from General category candidates. In exceptional cases, where in the public interest the Appointing Authority feels that it is necessary to fill up the vacant reserved post(s) by promotion from the General category candidates on urgent temporary basis, the Appointing Authority may make a reference to the Department of Personnel and after obtaining prior approval of the Department of Personnel, they may fill up such post(s) by promoting the General category candidate(s) on urgent temporary basis clearly stating in the promotion order that the General category candidate(s) who are being promoted on urgent temporary basis against the vacant post reserved for Scheduled Castes or the Scheduled Tribes candidates, as the case may be, shall have to vacate the post as and when the candidate(s) of that category become available:

Provided that there shall be no carry forward of the vacancies in posts or class/ category/ group of posts in any cadre of service to which promotions are made on the basis of merit alone, under these rules.

**9. Reservation of vacancies for the Backward Classes and More Backward Classes.-** Reservation of vacancies for the Backward Classes and More Backward Classes shall be in accordance with the provision of law in force at the time of direct recruitment. In the event of non-availability of eligible and suitable candidates amongst Backward Classes and More Backward Classes in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled, in accordance with the normal procedure.

**10. Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections.-** Reservation of vacancies for Economically Weaker Sections shall be 10% in direct recruitment in addition to the existing reservation. In the event of non-availability of eligible and suitable candidate amongst Economically Weaker Sections in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure.

**Explanation:** For the purpose of this rule 'Economically Weaker Sections' shall be the persons who are bonafide resident of Rajasthan and not covered under the existing scheme of reservations for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Backward Classes, the More Backward Classes and whose family has gross

annual income below rupees 8.00 lakh. Family for this purpose will include the person who seeks benefit of reservation, his/her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years. The income shall include income from all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc. and it will be income for the financial year prior to the year of application.

**11. Reservation of vacancies for the women.-** Reservation of vacancies for women candidate shall be 30% category wise in direct recruitment out of which one third shall be for widows and divorced women candidates in the ratio of 80:20. In the event of non availability of eligible and suitable candidates, either in widow or in divorcee, in a particular year, the vacancies may first be filled by interchange i.e. vacancies reserved for widows to the divorcees or vice versa. In the event of non availability of sufficient widow and divorcee candidates, the unfilled vacancies, shall be filled by other women of the same category and in the event of non availability of eligible and suitable women candidates, the vacancies so reserved for them shall be filled up by male candidates of the category for which vacancy is reserved. The vacancy so reserved for women candidates shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for women including widows and divorcee women shall be treated as horizontal reservation within the category, i.e. even the women selected in general merit of the category shall first be adjusted against the women quota.

**Explanation:** In the case of widow, she will have to furnish a certificate of death of her husband from the Competent Authority and in case of divorcee she will have to furnish the proof of divorce.

**12. Reservation of vacancies for outstanding sportspersons.-** Reservation of vacancies for outstanding sportspersons shall be 2% of the total vacancies outside the purview of the Commission in that year earmarked for direct recruitment. In the event of non-availability of the eligible and suitable sportspersons in a particular year, the vacancies so reserved for them shall be filled in accordance with the normal procedure and such vacancies shall not be carried forward to the subsequent year. The reservation for sportspersons shall be treated as horizontal reservation and it shall be adjusted in the respective category to which the sports persons belong.

**Explanation:** "Outstanding Sportsperson" shall mean sportspersons who are bona fide resident of the State of Rajasthan, and,-

- (i) represented Indian team in individual or in team event in any international tournament/championship of any sports and games mentioned in column number 3 of table given below organized by the international sports body mentioned in column number 2 of the said table,-

**Table**

S. No.	International Sports Body	Name of the Tournament/ Championship
1	2	3
1.	International Olympic Committee [IOC]	Olympic Games (Summer)
2.	Olympic Council of Asia [OCA]	Asian Games
3	South Asian Olympic Council [SAOC]	South Asian Games; commonly known as SAF games
4.	Commonwealth Games Federation [CGF]	Commonwealth Games

5.	International Sports Federation affiliated to IOC	World Cup/World Championship
6.	Asian Sports Federation affiliated to OCA	Asian Championship
7.	International School Sports Federation [ISSF]	International School Games / Championship
8.	Asian School Federation [ASSF]	Asian School Games /Championship

or

- (ii) medal winner in the individual or in team event in any School National Games of any Sports and Games organized by the School Games Federation of India;

or

- (iii) medal winner in the individual or in team event in any national tournament / championship of any sports and games organized by the Indian Olympic Association or its affiliated National Sports Federation [N.S.F];

or

- (iv) medal winner in the all India inter university in individual event or in team event in any sports and games, organized by the association of Indian universities;

or

- (v) represented Rajasthan in individual or in a team event in national games/national para games or nation championship/para national championship of any sports and games, organized by the Indian Olympic Association/Para Olympic Committee of India or its affiliated nation Sports Federation."

**13. Reservation of vacancies for ex-servicemen.-** The reservation of vacancies for duly discharged ex-servicemen shall be 1/3rd of the total vacancies of direct recruitment for the post of constable (driver). Such reservation shall be category wise and an ex-servicemen selected on his own merit shall be counted against vacancies reserved for ex-servicemen. In the event of non-availability of suitable ex-servicemen in any category, the vacancy shall be filled by other suitable candidates of the same category in order of their merit and shall not be carried forward. The reservation shall be treated as compartmentalized horizontal reservation.

**14. Nationality.-** A candidate for appointment to the service must be,-

- a citizen of India; or
- a subject of Nepal; or
- a subject of Bhutan; or
- a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India; or
- a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Srilanka and East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawai, Zarie and Ethopia with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government in the department of Home Affairs and Justice after proper verification.

**15. Conditions of eligibility of persons migrated from other countries to India.-**

Notwithstanding anything contained in these rules provisions regarding eligibility for recruitment to the service with regard to nationality, age limit and fee or other concessions to a person who may migrate from other countries to India with the intention of permanently settling in India shall be regulated by such orders or instructions as may be issued by the State Government, from time to time and the same shall be regulated *mutatis mutandis* according to the instructions issued on the subject by the Government of India.

**16. Determination of vacancies.-**

(1) Subject to the provisions of these rules, the Appointing Authority shall determine on 1<sup>st</sup> April every year, the actual number of vacancies occurring during the financial year.

(2) Where a post is to be filled in by single method as prescribed in the rules or Schedule, the vacancies so determined shall be filled in by that method.

(3) Where a post is to be filled in by more than one method as prescribed in these rules or Schedule, the apportionment of vacancies, determined under sub-rule (1) above, to each such method shall be done maintaining the prescribed proportion for the overall number of posts already filled in. If any fraction of vacancies is left over, after apportionment to the vacancies in the manner prescribed above, the same shall be apportioned to the quota of various methods prescribed in a continuous cyclic order giving precedence to the promotion quota.

(4) The Appointing Authority shall also determine the vacancies of earlier year(s), year wise, which were required to be filled in by promotion, if such vacancies were not determined and filled earlier in the year in which they were required to be filled in.

**17. Age.-** A candidate for direct recruitment to all posts enumerated in column 2 of Schedule-I and II must have attained the age of 20 years and must not have attained the age of 25 years on 1st January next following the last date fixed for receipt of application:

Provided that-

- (i) the upper age-limit mentioned above shall be relaxed by,-
  - (a) 5 years in case of male candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes and More Backward Classes.
  - (b) 5 years in case of women candidates belonging to General category and Economically Weaker Sections.
  - (c) 10 years in case of woman candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes, and More Backward Classes.
- (ii) the upper age limit mentioned above shall be 40 years in the case of ex-service personnel and the reservists i.e. the service personnel who are transferred to the Reserve.
- (iii) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the service rendered in the N.C.C. in the case of Cadet Instructors and if the resultant age does not exceed the prescribed maximum age limit by more than three years, they shall be deemed to be within the prescribed age limit.
- (iv) the upper age limit mentioned above shall be relaxed by a period equal to the duration of membership in the Home Guards department as volunteer. The persons enrolled as a Home Guards Volunteer shall be deemed to be within the age limit had they been within the age limit when they were initially enrolled even though



they have crossed the age limit when they appear finally before the Board/Recruitment Board/Appointing Authority and shall be allowed up to two chances had they been eligible as such at the time of their initial appointment. However, the upper age limit under this category shall be 40 years.

- (v) the Released Emergency Commissioned Officers and Short Service Commissioned Officers after getting released from the Army shall be deemed to be within the age limit even though they have crossed the age limit when they appear before the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority, had they been eligible as such at the time of their joining the Commission in the Army.

**18. Academic and Technical Qualifications and Experience.-** A candidate for direct recruitment to the post (s) specified in Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, shall possess,-

- (i) the qualifications and experience as prescribed in column number 4 of Schedule- I or Schedule-II, as the case may be; and
- (ii) working knowledge of Hindi written in "Devanagari" script and knowledge of Rajasthani culture:

Provided that the person who has appeared or is appearing in the final year examination of the course which is the requisite educational qualification for the post as mentioned in the rules or Schedule for direct recruitment, shall be eligible to apply for the post but he/she shall have to submit proof of having acquired the requisite educational qualification to the appropriate selection agency,-

- (i) before appearing in the main examination where selection is made through two stages of written examination and interview;
- (ii) before appearing in interview, where selection is made through written examination and interview; and
- (iii) before appearing in the written examination or interview where selection is made through only written examination or only interview, as the case may be.

**19. Character.-** The character of a candidate for direct recruitment must be such as to make him/her qualify for employment in the Service. He/She must produce a certificate of good character from the Principal/Academic Officer of the School or College or University in which he/she was last educated and two such certificates, written not more than six months prior to the date of application, from two responsible persons not connected with his/her School or College or University and not related to him/her.

**Note:** (1) A conviction by a Court of Law need not itself involve the refusal of a certificate of good character. The circumstances of the conviction should be taken into account and if they involve no moral turpitude or association with crime or violence or with a movement which has its object to overthrow by violent means a Government as established by Law, the mere conviction need not be regarded as a disqualification.

- (2) Ex-prisoners, who by their disciplined life, while in prison and by their subsequent good conduct have proved to be completely reformed, should not be discriminated on grounds of their previous conviction for purposes of employment in the service. Those who are convicted of offences not involving moral turpitude shall be deemed to have been completely reformed on the production of a report to that effect from the Superintendent, After Care Home or if there are no such Homes, in a particular district, from the Superintendent of Police of that district.
- (3) Those convicted of offences involving moral turpitude shall be required to produce a certificate from the Superintendent After Care Home or if there is no such home in a particular district from the Superintendent of Police of that district, endorsed by the Inspector General of Prisons to the effect that they are suitable for employment as they proved to be completely reformed by their disciplined life while in prison and by their subsequent good conduct in an After Care Home.

**20. Physical Fitness.-** (1) A candidate for direct recruitment to the service must be in good mental and bodily health and free from any mental or physical defect likely to interfere with the efficient performance of his/her duties as a member of service and if selected must produce a certificate to that effect from a Medical Authority notified by the Government for the purpose. The Appointing Authority may dispense with production of such certificate in the case of a candidate promoted in the regular line of promotion or who is already serving in connection with the affairs of the State, if he has already been medically examined for the previous appointment and the essential standards of medical examination of the two posts, held by him/ her are found to be comparable for efficient performance of duties of the new post(s) and his /her age has not reduced his/her efficiency for the purpose.

(2) Except in the case of women candidate, no candidate who is less than 168 centimetres in height and whose deflated chest measurement is less than 81 centimetres and inflated chest less than 86 centimetres, with a minimum of 5 centimetres expansion of chest shall be deemed to be physically fit:

Provided that,-

- (i) the minimum height of the men and women candidates belonging to the Hill and the Tribal areas shall not be less than 160 centimetre and 145 centimetres respectively, their (Men) deflated and inflated chest shall not be less than 79 and 84 centimetres respectively with a minimum 5cms expansion of chest and weight of the woman candidate shall not be less than 43 kgs.
- (ii) the height and weight of women candidates of the general area shall not be less than 152 centimetres and 47.5 kgs respectively.
- (iii) for the recruitment to the post of constable, candidate belonging to the Saharia tribe of Baran District shall be deemed to be physically fit if :-
  - (a) a male candidate whose minimum height is not less than 160 centimetre and their deflated chest and inflated chest is not less than 74 centimetre and 79 centimetre respectively and expansion is required to be minimum 5 centimetre, and
  - (b) a woman candidate whose minimum height and weight is not less than 145 centimetre and 43 kilogram respectively.
- (iv) candidate belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes whose height and chest measurement are less by 5 centimetres, with a minimum of 5 centimetres expansion of chest (Men) shall be deemed to be physically fit in case of requisite number of suitable Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be,

candidates possessing physical fitness standards as laid down above are not available.

**21. Employment by Irregular or Improper means.-** A candidate who is or has been declared by the Board/Recruitment Board/ Appointing Authority or Promotion Board, as the case may be, guilty of impersonation or of submitting fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or suppressing material information or of using or attempting to use unfair means in the examination or interview or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination or interview may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be debarred either permanently or for a specified period,-

(a) by the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority or Promotion Board from admission to any examination or appearance at any Board interview held by the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority or Promotion Board, for selection of candidates; and

(b) by the Government from employment under the Government.

**22. Canvassing.-** No recommendation for recruitment, either written or oral, other than required under the rules, shall be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his/ her candidature by any means may disqualify him/ her for recruitment.

#### **PART- IV PROCEDURE FOR DIRECT RECRUITMENT**

**23. Inviting of applications.-** (1) Application for direct recruitment to the post of Constable, Constable (Bugler/Drum man), as mentioned in Schedule-I and Head Constable (Armourer), Constable (Driver) as mentioned in Schedule-II shall be invited by and in such a manner as may be laid down by the Appointing Authority. The advertisement shall contain a clause that a candidate who accepts the assignment on the post being offered to him/her shall be paid monthly fixed remuneration at the rate fixed by the Government, from time to time during the period of probation and the Level in Pay Matrix of the post as shown else-where in the advertisement shall be allowed only from the date of successful completion of the period of probation mentioned in these rules.

(2) Application for direct recruitment to the post of Platoon Commander in Schedule-I and Sub-Inspector (M.T.), Sub-Inspector (Armourer) in Schedule-II shall be invited by the Board/Recruitment Board/ Appointing Authority, as the case may be, by advertising the vacancies to be filled, in the Official Gazette or in such other manner as they deem fit. The advertisement shall contain a clause that a candidate who accepts the assignment on the post being offered to him/her shall be paid monthly fixed remuneration at the rate fixed by the Government, from time to time during the period of probation and the Level in Pay Matrix of the post as shown else-where in the advertisement shall be allowed only from the date of successful completion of the period of probation mentioned in these rules:

Provided that while selecting candidates for vacancies advertised by the Board/Recruitment Board/Appointing Authority, as the case may be, if intimation of additional requirement, not exceeding 50% of the advertised vacancies, is received by them for selection, they may also select suitable persons, category wise, to meet such additional requirement.

**24. Frequency of direct recruitment.-** Direct recruitment to the post(s) specified in the Schedules shall be held at least once a year unless the Government decides that a direct recruitment for any of these post shall not be held in any particular year.

**25. Form of Application.-** (1) The application for the post of Platoon Commander as specified in Schedule-I and Sub Inspector (M.T.), Sub-Inspector (Armourer) as specified in Schedule-II shall be in the form as approved by the Board/Recruitment Board/ Appointing Authority as the case may be and the application for the post of Constable, Constable (Bugler / Drum man) as mentioned in Schedule-I and Head Constable (Armourer), Constable (Driver) as mentioned in Schedule-II shall be in the form as approved by the Appointing Authority.

(2) The application form shall be obtainable from office of the Board/Recruitment Board /Appointing Authority, as the case may be, on payment of such fees as may be fixed by Board/Recruitment Board/Appointing Authority, from time to time.

**26. Examination or Application Fee.-** (1) A candidate for direct recruitment to a post in the service shall pay the examination or application fee to Board/Recruitment Board/Appointing Authority, as the case may be, as fixed by it/them, from time to time, in such manner as may be indicated by it/them.

(2) No claim for the refund of the examination fee shall be entertained nor the fee shall be held in reserve for any other examination except when the advertisement is cancelled because of withdrawal of requisition by the Requisitioning Authority or for any other reason in which case the amount shall be refunded:

Provided that no claim for the refund of fee shall be entertained after a period of one month from the date of issue of the letter of refund by the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority to the candidate.

**27. Admission to the examination.-** (1) The applications which are found to be incomplete and have not been filled in accordance with the instructions issued by the Board/Recruitment Board/Appointing Authority, as the case may be, shall be rejected by the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority, as the case may be, at the initial stage. The Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority, as the case may be, shall permit the rest of those candidates to appear in the examination provisionally to whom they consider proper to grant the certificate of admission. No candidate shall be admitted to an examination unless he/she holds a certificate of admission to that examination, granted by the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority. Before appearing for the examination, it should be ensured by the candidate himself/ herself that he/she fulfils the conditions in regard to age, educational qualifications, experience etc., as provided in these rules. Being allowed to take the examination, shall not entitle the candidate for presumption of eligibility. The Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority, as the case may be, shall later on scrutinize the applications of such candidates only who qualify in the written examination and issue a certificate of admission to further test/examination to those who are found eligible.

(2) The decision of the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority to the admission of a candidate to an examination, eligibility and consequent admission to physical efficiency test and aptitude test and interview for direct recruitment for the post of Platoon Commander mentioned in Schedule-I and for the post of Sub-Inspector (M.T.), Sub-Inspector (Armourer) mentioned in Schedule-II and physical efficiency test for direct recruitment to other post(s), shall be final.

**28. Authority for conducting the competitive examination.-** (1) The competitive examination for direct recruitment to the post of Platoon Commander in Schedule-I and Sub-Inspector (M.T.), Sub-Inspector (Armourer) mentioned in Schedule-II shall be conducted by

the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority in accordance with the scheme for written examination as mentioned in Schedule-III of these rules.

(2) The syllabus for written examination to be conducted by the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority, referred to in sub-rule (1) above, and for the Physical Efficiency Test, shall be such as may be prescribed by the Board/ Recruitment Board in consultation with the Appointing Authority, from time to time.

(3) The Board/Recruitment Board/ Appointing Authority, as the case may be shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 36% marks in each of the paper and 40% marks in aggregate in the written examination:

Provided that relaxation upto five percent will be applicable to candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each paper and in the aggregate.

(4) The Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority, as case may be, shall send the list of such successful candidates, limited to 10 times the number of vacancies in each category, i.e. Unreserved/Backward Classes/More Backward Classes/Scheduled Castes/Scheduled Tribes/ Economically Weaker Sections, to the Appointing Authority.

(5) (i) The Board/ Recruitment Board/Appointing Authority, as the case may be, may order re-totalling of the marks obtained by a candidate in the written examination within fifteen days from the date of issue of mark sheet on payment of such fees, as may be fixed by the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority, from time to time but evaluation of the answer paper shall not be re-examined.

(ii) The Board/Recruitment Board/Appointing Authority may take steps to rectify such mistakes as are detected on re-totalling of the marks in pursuance of provisions of clause (i) above.

(iii) If, as a result of such rectification, the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority discovers that the candidate becomes eligible for selection, such fact shall be immediately, and in any case not later than 40 days from the announcement of the result shall be reported to the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority and the result announced earlier shall stand pro-tanto modified.

(6) All candidates who are declared successful under sub-rule (3) above, for the post of Platoon Commander in Schedule-I and Sub-Inspector (M.T.), Sub-Inspector (Armourer) in Schedule-II shall be required to appear before a Physical Efficiency Board which may consist of a Technical Expert required for the post a Sub-Inspector (M.T.), Sub-Inspector (Armourer) to check their technical knowledge required for the specialised post.

The physical efficiency board shall consist of the following:-

(i)	CGHG/ADG/DCGHG	Chairman
(ii)	Commandant	Member
(iii)	Deputy Commandant	Member Secretary
(iv)	One Technical expert of relevant field.	Co-opted member if required

**Note:** The Member, Member Secretary and the Co-opted member will be nominated by the Appointing Authority. The Technical Expert will be nominated only for technical posts.

The physical efficiency test shall carry 100 marks and the candidate who secures 50% marks therein, shall be eligible for the selection by the Board/Recruitment Board, as the case may be. The physical efficiency test would be vigorous as laid down by the Appointing Authority to adjudge suitability of the candidate.

(7) Candidates who are declared successful in the written examination under sub-rule (3) above and in the physical efficiency test under sub-rule (6) above shall be eligible for aptitude test and interview:

Provided that the number of candidates called for aptitude test and interview shall be restricted to three times the number of vacancies on the basis of merit based on the aggregate marks obtained both in the written examination and in the physical efficiency test except in the case of Schedule Castes and Scheduled Tribes candidates who shall be eligible for aptitude test and interview in excess of the prescribed limit if they have qualified in the written examination and the physical efficiency test.

(8) The aptitude test and interview of the candidate qualifying physical efficiency test shall carry 50 marks for the post of Platoon Commander in Schedule-I and Sub-Inspector (M.T.), Sub-Inspector (Armourer) mentioned in Schedule-II and shall be held by the Board/ Recruitment Board which shall consist of the following:

- |       |   |                     |
|-------|---|---------------------|
| (i)   | Chairman or Member of the Board/Recruitment Board nominated by the Chairman   | Chairman            |
| (ii)  | CGHG/ADG  | Member              |
| (iii) | An Officer of the Home Guard Department nominated by the Board/ Recruitment Board in consultation with Appointing Authority not below the rank of DCG | Member<br>Secretary |
| (iv)  | One Psychologist nominated by the Board/ Recruitment Board.   | Member              |

The Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority shall award marks to each candidate in respect of suitability to the post, taking into consideration personality, address, tact, behaviour, specialised training, aptitude for the post, balance of judgement, leadership and knowledge of Rajasthani Culture. The marks so awarded shall be added to the marks obtained in the written test by each candidate. Candidate holding the NCC 'C' Certificate and who has completed 5 years continuous enrolment as Home Guard Volunteer shall be given due weightage, while awarding marks for aptitude test and interview.

**29. Recommendation of the Board /Recruitment Board/Appointing Authority -** The Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority as case may be, shall prepare a list of candidates, whom they/it consider suitable for appointment to the post concerned, arrange them in order of merit, and forward the same to the Appointing Authority. The Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority shall not recommend candidates, who have secured less than 45% marks in the aggregate for the post of Platoon Commander in Schedule-I and Sub-Inspector (M.T.), Sub-Inspector (Armourer) as mentioned in Schedule-II.

Provided that the Board/Recruitment Board/ Appointing Authority may recommend candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes/More Backward Classes who though failing to obtain the minimum marks, are declared by the Board to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, if the candidates secure 12.5% marks in interview and 40% marks in the aggregate, as the case may be.

**30. Recruitment to the post of Constable.-** (1) Notwithstanding anything contained in these rules, there shall be no interview for selection to the post of Constable, Constable (Bugler/Drum-man), mentioned in Schedule-I and Constable (Driver), Head Constable (Armourer) mentioned in Schedule-II and selection to these posts shall be made by

conducting a written examination and Physical efficiency test along with test of technical knowledge, if required, in accordance with the scheme and syllabus of the examination as per the procedure specified the CGHG. Candidate holding the NCC 'C' Certificate and Home Guard Volunteer shall be given due weightage in the selection procedure. The written examination and physical efficiency test shall be conducted by the Recruitment Board as mentioned in sub rule (2) below.

(2) For post of Constable, Constable (Bugler/Drum man), mentioned in Schedule-I and Constable (Driver), Head Constable (Armourer) mentioned in Schedule-II, the Recruitment Board shall be as under:-

(i)	CGHG/ ADG HG	Chairman
(ii)	ADGHG/ IGHG/ DCGHG	Member
(iii)	Commandant	Member-Secretary
(iv)	One Technical Expert of relevant field	Co-opted Member when required

**Note:** The Member, Member Secretary and the Co-opted member will be nominated by the Appointing Authority. The Technical Expert will be nominated only for technical posts.

**Explanation:** The Appointing Authority may constitute more than one Recruitment Board for the purpose of selection of candidates to the posts as mentioned in sub rule (2) above.

**31. Disqualification for appointment.-** (1) No male/ female candidate who has more than one wife / husband living shall be eligible for appointment to the service unless the Government after being satisfied that there are special grounds permissible under the personal law for doing so, exempt any candidate from the operation of this rule.

(2) No female candidate who is married to a person already having a wife living shall be eligible for appointment to the service unless the Appointing Authority in consultation with the Government, after being satisfied that there are special grounds for doing so, exempt any female candidate from the operation of this rule.

(3) No married candidate shall be eligible for appointment to the service if he/she at the time of his/ her marriage or at any time thereafter, accepted any dowry.

**Explanation:** For the purpose of this rule 'dowry' has the same meaning as in the Dowry Prohibition Act, 1961 (Central Act No. 28 of 1961).

(4) No candidate shall be eligible for appointment to the service who has more than two children on or after 01.06.2002:

Provided that,-

- (i) the candidate having more than two children shall not be deemed to be disqualified for the appointment so long as the number of children he/ she has on 1<sup>st</sup> June, 2002, does not increase
- (ii) where a candidate has only one child from earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.

- (iii) the provision of this sub-rule shall not be applicable to the appointment of a widow to be made under the Rajasthan Compassionate Appointment of Dependents of Deceased Government Servants Rules, 1996.
- (iv) while counting the total number of children of a candidate, the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (v) any candidate who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for appointment under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

**32. Selection by the Appointing Authority.-** Subject to the provisions of rule 8, 9, 10, 11, 12 and 13, the Appointing Authority shall select candidates who stand highest in the order of merit, in the list prepared by the Board/ Recruitment Board/ Appointing Authority under rule 29:

Provided that the inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after Medical Test by a Medical Board, to be constituted by the Appointing Authority consultation with Medical Department, Police Verification and such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all other respects for appointment to the post concerned.

## PART-V

### PROCEDURE FOR RECRUITMENT BY PROMOTION

**33. Criteria, eligibility and procedure for promotion.-** (1) The persons enumerated in column number 5 of Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, holding post after regular recruitment shall be eligible for promotion to the posts specified in column number 2 of Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, subject to their possessing such minimum qualification and experience as are specified in column number 6 of Schedule-I or Schedule-II, as the case may be, on the 1st day of April of the year in which the qualifying examination is held. Seniority shall be maintained at State level.

(2) No person shall be considered for first promotion in the service unless he/she is regularly selected on the post from which promotion is to be made in accordance with one of the methods of recruitment prescribed under the provisions of these rules.

**Explanation:** In case direct recruitment to a post (s) has been made earlier than the regular selection by promotion in a particular year, such persons who are or were eligible for recruitment to that post by both the methods of recruitment and have been appointed by direct recruitment first, shall also be considered for promotion.

(3) After determination of the vacancies, the candidates, not exceeding ten times the number of vacancies, shall be invited, in order of their seniority, to appear before the Promotion Board.

(4) No person shall be considered for promotion for three recruitment years from the date on which his promotion becomes due and if he /she has more than two children on or after 1st June, 2002:

Provided that-

- (i) the person having more than two children shall not be deemed to be disqualified for promotion so long as the number of children he/she has on 1st June, 2002 does not increase.



- (ii) where a person has only one child from the earlier delivery but more than one child are born out of a single subsequent delivery, the children so born shall be deemed to be one entity while counting the total number of children.
- (iii) while counting the total number of children of a candidate the child born from earlier delivery and having disability shall not be counted.
- (iv) any person who performed remarriage which is not against any law and before such remarriage he is not disqualified for promotion under this sub-rule, he shall not be disqualified if any child is born out of single delivery from such remarriage.

**34. Procedure of selection.-** (1) After the vacancies to be filled by promotion have been determined under rule 16, the Promotion Board as referred in sub-rule (5) below shall be constituted. The Promotion Board shall prepare correct and complete list containing names not exceeding three times the number of vacancies out of the senior most eligible members of service, who have passed Part-I of the qualifying examination, specified in rule 35, by obtaining 40% marks in Parade, Practical and other Out-door test and 40% marks in written test with 45% marks in aggregate for promotion to the class of post concerned.

(2) The Promotion Board constituted under this rule shall consider the cases of all the persons included in the list, interviewing all of them and shall prepare a list containing names of suitable candidates in order of seniority, who secure 45% marks in Part-II of qualifying examination, as specified in rule 35 and 50% aggregate of the total marks in part I and II of the qualifying examination, as specified in rule 35 upto one and half times the number of such posts as are specified by Appointing Authority, from time to time and as are determined to be filled under rule 16. In interviewing candidates for promotion regard shall be held to the following factors that,-

- (i) they have passed Part-I qualifying examination as specified in rule 35.
- (ii) their previous record of service (good and bad entries).
- (iii) integrity.
- (iv) intelligence, tact and energy.
- (v) technical and general knowledge.
- (vi) experience and efficiency.
- (vii) personality and character.

(3) The Promotion Board shall prepare a list of successful candidates in order of their seniority.

(4) The Promotion Board shall submit the list, prepared under sub-rule (3), to the Appointing Authority for issuing promotion orders.

(5) Constitution of Promotion Boards.- The Appointing Authority shall constitute the following Promotion Boards for promotions to the various posts mentioned in Schedule-I and Schedule-II.

- (i) For promotion to the post of Company Commander mentioned in Schedule-I, Inspector (MT) and Inspector (Armourer) mentioned in Schedule-II:-
  - (a) CGHG/ ADGHG Chairman
  - (b) IGHG/ DCGHG Member
  - (c) Commandant Member Secretary
  - (d) One Technical Expert of relevant field Co-opted Member

**Note:** The Member, Member Secretary and Co-opted Member will be nominated by the CGHG. The Technical Expert of the relevant field will be taken in the board only for the technical posts mentioned in Schedule II.

(ii) For promotion to the posts of Platoon Commander mentioned in Schedule-I and Sub-Inspector (MT), Sub-Inspector (Armourer) mentioned in Schedule-II:-

- |     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| (a) | ADGHG/ IGHG / DCGHG                    | Chairman         |
| (b) | Commandant                             | Member           |
| (c) | Dy. Commandant                         | Member Secretary |
| (d) | One Technical Expert of relevant field | Co-opted Member  |

**Note:** The Member, Member Secretary and Co-opted Member will be nominated by the CGHG. The Technical Expert of the relevant field will be taken in the board only for the technical posts mentioned in Schedule-II.

(iii) For promotion to the post of Head Constable of Schedule-I and Head Constable (MT) mentioned in Schedule-II :-

- |     |  |                  |
|-----|--|------------------|
| (a) | IG/DCGHG                               | Chairman         |
| (b) | Commandant                             | Member           |
| (c) | Dy. Commandant                         | Member Secretary |
| (d) | One Technical Expert of relevant field | Co-opted Member  |

**Note:** The Member, Member Secretary and Co-opted Member of the Promotion Board will be nominated by the Appointing Authority. The Technical Expert of the relevant field will be taken in the Promotion Board only for the technical posts mentioned in Schedule-II.

**35. Qualifying Examination for Promotion.-** (1) Qualifying examination for promotion means and includes-

**Part-I :** Written, Practical- Parade and other Outdoor tests.

**Part-II:** Interview and Examination of service record, including Annual Confidential Reports.

(2) The Syllabus and total marks for Part-I and Part-II examination and general instructions in respect of Part-II shall be determined and issued by the CGHG, from time to time.

**36. Promotion.-** Promotion shall be made by the Appointing Authority taking persons out of the lists finally approved under rule 34 in order of merit in which they have been placed in the lists, till such lists are exhausted or reviewed, revised or remain in force, as the case may be.

**37. Restriction of promotion of persons foregoing promotions.-** In case a person on his /her appointment by promotion to the next higher post (s) either on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis on the recommendation of the Promotion Board, foregoes such an appointment through his/her written request, and if the concerned Appointing Authority accept his/her request, the person concerned shall be debarred from consideration for promotion (both on the basis of urgent temporary appointment or on regular basis) for subsequent two recruitment years for which the Departmental Promotion Board is held and the name of such person who foregoes promotion shall not be included in the seniority-cum-eligibility list to be placed before the Promotion Board for subsequent two recruitment years.

**38. Disposal of representations and references.-** (1) If at any time, a representation or reference relating to promotion test or preparation of the list or selection or any other examination conducted under these rules, is made either by a member of the service or by any

Promotion Board or by any subordinate office, the orders of the Appointing Authority on it shall be final and ordinarily no appeal or reference on the point so decided upon, shall lie to the Government.

(2) If on receipt of information or on the basis of any enquiry, the Appointing Authority is satisfied that the proceedings of a Promotion Board have not been conducted in accordance with the provisions of these rules in a just and fair manner, he may set aside the proceeding of such Promotion Board and may constitute a fresh Promotion Board for that purpose.

(3) The Government or the Appointing Authority may order for the review of the proceedings of the Promotion Board held earlier on account of some mistake or error apparent on the face of record, or on account of a factual error substantially affecting the decision of the Promotion Board or for any other sufficient reasons e.g. change in seniority, wrong determination of vacancies, judgment/direction of any Court or Tribunal, or where adverse entries in the Confidential Reports of an individual are expunged or toned down or a punishment inflicted on him/her is set aside or reduced. The concurrence of the Department of Personnel shall always be obtained before holding the meeting for review promotion by the Promotion Board.

## PART-VI

### APPOINTMENT, PROBATION AND CONFIRMATION

**39. Appointment to the Service.-** Appointment to the Service shall be made by the Appointing Authority on occurrence of substantive vacancies in the cadre of the Service by selection of persons from the list prepared by the Recruitment Board/ Board, as the case may be, under rule 29 or list prepared by the Promotion Board under rule 34, as the case may be.

**40. Seniority.-** Seniority of persons appointed to the post encadred in the service shall be determined from the date of appointment on the post after regular selection in accordance with the provisions of these rules. Appointment on ad-hoc or urgent temporary basis shall not be deemed to be appointment after regular selection:

Provided that,-

- (i) the inter-se seniority of persons appointed to a post in a particular category by direct recruitment on the basis of one and the same selection except those who do not join service when a post is offered to them within a period of six weeks from the date of issue of order or longer, if extended by the Appointing Authority shall follow the order in which their names have been placed in the list prepared under rule 29.
- (ii) if two or more persons are appointed to the service during the same year a person appointed by promotion shall rank senior to a person appointed by direct recruitment .
- (iii) the persons selected and appointed as a result of a selection, which is not subject to review and revision, shall rank senior to the person(s) who is / are selected and appointed as a result of subsequent selection.
- (iv) the seniority inter-se of persons appointed to a post in a particular section by promotion shall be the same in the next lower grade.

**Explanation:** Year of substantive appointment in case of those who are promoted after completion of promotion test shall mean the year of vacancies against which the promotion was made.

- (v) the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, with consequential seniority, shall continue till the roster points are exhausted and adequacy of promotion is achieved. Once the roster points are complete the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies earmarked for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees occur.

**Explanation:** Adequate representation means 16% representation of the Scheduled Castes and 12% representation of the Scheduled Tribes in accordance with the roster point.

**41. Period of Probation.-** (1) A person entering the service by direct recruitment against a clear vacancy shall be placed as Probationer-trainee for a period of two years:

Provided that any period after such appointment during which a person has been on deputation on a corresponding or higher post shall count towards the period of probation.

(2) During the period of probation specified in sub-rule(1) above each probationer trainee may be required to undergo such training as the Government may, from time to time, specify.

**42. Reversion of Probationer.-** Notwithstanding anything contained in these rules, if no order of confirmation is issued by the Appointing Authority within a period of six months, an employee appointed on temporary officiating basis, who has after the date of his regular recruitment by either method of recruitment completed a period of two years service or less in case of those appointed by promotion, where the period of probation prescribed is less, on the post or a higher post under the same Appointing Authority or would have so worked but for his deputation or training shall on the occurrence of permanent vacancies be entitled to be treated as confirmed, if the same conditions as are prescribed, under the rules and in accordance with his seniority. In case a member of the service fails to give a satisfactory account of himself during the probation period and he is not confirmed in service he shall be reverted to the post on which he has a lien.

**43. Unsatisfactory progress during probation.-** If it appears to the Appointing Authority, at any time, during or at the end of the period of probation that services of a Probationer-trainee are not found to be satisfactory, the Appointing Authority may revert him/her to the post on which he/she is regularly selected immediately preceding his/her appointment as Probationer-trainee or in other cases may discharge or terminate him/her from service. The Appointing Authority shall accord appropriate opportunity to the Probationer-trainee before final orders are passed in this respect:

Provided that the Appointing Authority may, if it so thinks fit in any case or class of cases, extend the period of probation of any Probationer trainee by specified period not exceeding one year.

**44. Confirmation, extension of probation and discharge.-** (1) A member of the service who successfully completes his/her probation period and undergoes the training as prescribed by the Appointing Authority shall be eligible for confirmation at the end of probation period, provided the Appointing Authority is satisfied that his/her integrity is unquestionable and that he is otherwise fit for confirmation.

**Explanation:**

- (i) In case the Departmental Examination could not be held due to unavoidable circumstances even after completion of a two years' period, the candidate will become due for confirmation after passing of the departmental examination with effect from the date on which he completed the probation period.

- (ii) In case a probationer fails to pass the prescribed examination in two attempts, he/she shall be liable to be discharged from such post in the same manner as a probationer reverted to lower post, if any, to which he/she is holding lien.

Provided that no person shall be debarred from confirmation after the said period of service, if no reasons to the contrary about the satisfactory performance of his/her work are communicated to him /her within the said period.

- (2) Where a candidate has not given a satisfactory account during the probation period or has failed in the prescribed examination during the first attempt, his/her probation period may be extended up to one year by the Appointing Authority or an Authority superior to the Appointing Authority:

Provided that the Appointing Authority may, if it so thinks fit, in case of persons belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, as the case may be, extend the period of the probation by a period not exceeding three years.

- (3) Where a probationer is placed under suspension or disciplinary proceedings are contemplated or have been initiated against him /her, the period of his/her probation may be deemed to have been extended till such time the departmental proceedings are finalised.

- (4) A probationer reverted or discharged from service during or at the end of the period of probation, under explanation of sub-rule (1) above, shall not be entitled to any compensation.

## PART VII

### Pay

**45. Scale of Pay.-** The pay (Level in pay matrix or as amended from time to time) of a person appointed to a post in the service, shall be such as may be sanctioned under the rule referred to in rule 47 or as may be sanctioned by the Government, from time to time.

**46. Pay during probation.-** A Probationer-trainee appointed to the service by direct recruitment, shall be paid monthly fixed remuneration during the period of probation at such rates as may be fixed by the Government, from time to time:

Provided that an employee having been regularly selected as per provisions of recruitment rules in the Government service may be allowed emoluments in his/her own pay level of the existing post during service as probationer trainee or fixed remuneration of the new post, whichever is advantageous to him/her.

**47. Regulation of Pay, Leave, Allowances, Pension, Contributory Pension etc.-** Except as provided in these rules, the pay, allowances, pension, contributory pension, leave and other conditions of service of the member of the service shall be regulated by,-

- (i) The Rajasthan Service Rules 1951, as amended from time to time;
- (ii) The Rajasthan Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rule 1958; as amended from time to time.
- (iii) The Rajasthan Travelling Allowances Rules, 1971, as amended from time to time;
- (iv) The Rajasthan Civil Services (Conduct) Rules, 1971, as amended from time to time;
- (v) The Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, as amended from time to time;

- (vi) The Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scales) Rules, 1998, as amended from time to time;
- (vii) The Rajasthan Civil Service (Contributory Pension) Rules, 2005, as amended from time to time;
- (viii) The Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2008, as amended from time to time;
- (ix) The Rajasthan Civil Service (Revised Pay) Rules, 2017, as amended from time to time; and
- (x) Any other rules prescribing general conditions of service, made by the appropriate authority under the proviso to Article 309 of the Constitution of India and for the time being in force.

**48. Removal of doubts.-** If any doubt arises relating to the application, interpretation and scope of these rules, it shall be referred to the Government in the Department of Personnel whose decision thereon shall be final.

**49. Repeal and Saving.-** All rules and orders issued in relation to matters covered by these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed:

Provided that any action taken under the rules and orders so repealed, shall be deemed to have been taken under the provisions of these rules.

**50. Power to relax rules.-** In exceptional cases where the Administrative Department of Government is satisfied that operation of the rules relating to age or regarding requirement of experience for recruitment causes undue hardship in any particular case or where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to relax any of the provisions of these rules with respect to age or experience of any person, it may with the concurrence of the Department of Personnel, by order dispense with or relax the relevant provisions of these rules to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the case in a just and equitable manner:

Provided that such relaxation shall not be less favourable than the provisions already contained in these rules:

Provided further that relaxation in the prescribed period of service or experience under this rule shall only be granted to the extent of 1/3 period of the service or experience prescribed for promotion to any post before holding the meeting of the Departmental Promotion Committee.

Provided also that where the prescribed period of experience for promotion to any post is less than 6 years, a committee headed by the Chief Secretary comprising of Principal Secretary Finance, Principal Secretary/ Secretary Department of Personnel and Principal Secretary/Secretary of the Administrative Department, may consider the cases where forty five percent or more posts are vacant. The committee is empowered to suggest the quantum of relaxation in experience which may be granted in such cases to address the issue of large number of vacancies in promotional posts subject to condition that such relaxation in experience shall not be more than two years.

**SCHEDULE-I**  
**HOME GUARDS (Urban, Rural and Border) Section**

S. No.	Name of the Post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Company Commander	100% by promotion	-	Platoon Commander	5 years' experience on the post mentioned in column 5	-
2.	Platoon Commander	50% by direct recruitment and 50% by promotion	Graduate from a University established by law in India or its equivalent qualification or Duly discharged Ex-Servicemen of rank of Naib- Subedar and above;	Head Constable	5 years' experience on the post mentioned in column 5 or 3 years' experience on the post mentioned in column 5, if Graduate from a University established by law in India or its equivalent.	-
3.	Head Constable	100% by promotion	-	Constable/ Constable (Bugler/ Drum man)	5 years' experience on the post mentioned in column 5; or 3 years' experience on the post mentioned in column 5 if Graduate from a University established by law in India or its equivalent.	-
4.	Constable	100% by direct recruitment	1. 8 <sup>th</sup> class pass from a recognized school/ Board;	-	-	-

			or 2. Duly discharged Ex-serviceman.			
5.	Constable (Bugler/ Drum man)	100% by direct recruitment	1. 8 <sup>th</sup> class pass from a recognized school/ Board; or 2. Duly discharged Ex-serviceman; and Experience of blowing Bugle/playing Drum.	-	-	-

**Explanation :**

1. Company Commander shall include Company Commander, Staff Officer of Raj. Border Home Guards /Central Training Institute, or any other post which may be created in the Cadre having equivalent Pay (level in pay matrix) shall be deemed to be equivalent and inter transferable with these posts but it will not include the technical posts mentioned in the Schedule-II.
2. Platoon Commander shall include the Platoon Commander or any other post which may be created in the Cadre having equivalent Pay (level in pay matrix) shall be deemed to be equivalent and inter transferable with these posts but it will not include the technical posts mentioned in the Schedule-II.

**SCHEDULE-II  
HOME GUARDS  
(Technical Posts)**

S. No.	Name of the Post	Method of recruitment with percentage	Minimum qualification and experience for direct recruitment	Post from which promotion is to be made	Minimum qualification and experience for promotion	Remarks
1	2	3	4	5	6	7
1.	Inspector (MT)	100% by promotion	-	Sub-Inspector (MT)	Graduate from a University established by law in India, or its equivalent qualification with 5 years' experience on the post mentioned in column 5.	-
2.	Sub Inspector (MT)	50 % by promotion and 50% by direct recruitment	Graduate from a University established by law in India or its equivalent	Head Constable (MT)	5 years' experience on the post mentioned in column 5;	-



			qualification and diploma from ITI (Motor and Diesel Mechanic) with one year of experience as apprentice		or 3 years' experience on the post mentioned in column 5, if Graduate from a University established by law in India or its equivalent.	
3.	Head Constable (MT)	100% by promotion	-	Constable (Driver)	5years' experience on the post mentioned in column 5. or 3 years' experience on the post mentioned in column 5, if Graduate from a University established by law in India or its equivalent	-
4.	Inspector (Armourer)	100% by promotion	-	Sub Inspector (Armourer)	Graduate with 5 years' experience on the post mentioned in column 5.	-
5.	Sub Inspector (Armourer)	50 % by promotion and 50% by direct recruitment	Duly discharged Ex-Naib Subedar or equivalent rank in Army/Navy/Air Force with armourer training and experience	Head Constable (Armourer)	5 years' experience on the post mentioned in column 5; or 3 years' experience on the post mentioned in column 5, if Graduate from a University established by law in India or its equivalent	-
6.	Head Constable (Armourer)	100% by direct recruitment	Duly Discharged Ex- Havaldar or equivalent rank in Army/Navy/ Air force	-	-	-

7.	Constable (Driver)	100% by direct recruitment	1. 8 <sup>th</sup> class pass from a recognized school/Board with heavy or light motor vehicle driving license and three years' experience as a driver and sight 6x6 with or without Glasses or  2. Duly discharged Ex- serviceman with heavy or light motor vehicle driving license, preferably driver trade.	-	-	-
----	-----------------------	-------------------------------	---	---	---	---

### SCHEDULE-III

#### SCHEME FOR WRITTEN EXAMINATION OF THE POST OF PLATOON COMMANDER, SUB INSPECTOR (M.T.) AND SUB INSPECTOR (ARMOURER)

A written examination for direct recruitment of the post of Platoon Commander mentioned in Schedule I and Sub Inspector (M.T.) and Sub Inspector (Armourer) mentioned in Schedule II shall be conducted by the Board. The examination shall consist the following papers:-

Paper	Subject	Duration	Max. Marks
Paper-I	General Hindi	3 hours	200
Paper-II	General Knowledge and General Science	3 hours	200

[No: F.2 (5) DOP/A-II/2021]

By order and in the name of the Governor,  
JAI SINGH,  
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.